

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0,
अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा मे,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना,दिनांक.....30/6/17

विषय:- फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुपालन के संबंध में।


प्रसंग :- आपका पत्रांक-06/CMT (स सु0-07/2016 परि0-2937 दिनांक-01.06.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014" की धारा-36 के आलोक में "बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन) नियमावली 2017" एवं धारा-38 के आलोक में "बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन) स्कीम 2017" अधिसूचित कर सभी नगर निकाय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु वर्णित नियमावली एवं स्कीम की प्रति संलग्न है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

१६
२१३

निबंधन संख्या पी०टी०-४०



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

२७ मार्च १९३८ (शु०)

(सं० पटना ११८) पटना, वृहस्पतिवार, १६ फरवरी २०१७

नगर विकास एवं विभाग

अधिसूचनाएं
१५ फरवरी २०१७

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) नियमावली, २०१७

सं० ०४/SV(NULM)-०४/२०१५-४१३/न०वि०एवंआ०वि०—बिहार फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, २०१४ (केन्द्रीय अधिनियम ७/२०१४) की धारा ३६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

अध्याय-१
प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।— (१) यह नियमावली बिहार राज्य के लिए बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) नियमावली, २०१७ कही जा सकेगी।
(२) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(३) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
- परिभाषा।—इस नियमावली में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो:-
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, २०१४;
(ख) "उपयुक्त सरकार" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के अधीन यथानिर्दिष्ट राज्य सरकार से संबंधित मामलों की बाबत राज्य सरकार;
(ग) "धारण क्षमता" से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेताओं की अधिकतम संख्या, जिसे किसी फुटपाथ विक्रय-प्रक्षेत्र में समायोजित किया जा सकता हो और जिसे अधिनियम की उपधारा २(१)(ख) के अधीन यथानिर्दिष्ट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किया गया हो;
(घ) "स्थानीय प्राधिकारी" से, यथास्थिति, कोई नगर निगम या कोई नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या छावनी बोर्ड अथवा छावनी अधिनियम, २००६ की धारा ४७ के अधीन नियुक्त कोई सिविल क्षेत्र समिति या ऐसा अन्य निकाय अभिप्रेत है जो नागरिक सेवायें उपलब्ध कराने और पथ विक्रय को विनियमित करने के लिये किसी नगर या

- शहर में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये हकदार हो और इसके अन्तर्गत ऐसा "योजना प्राधिकार" भी है जो उस नगर या शहर में भूमि के उपयोग को विनियमित करता हो।
- (ङ) "चलंत फुटपाथ विक्रेता" से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2)(1)(घ) के अधीन यथानिर्दिष्ट अभिहित क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए विक्रय क्रिया-कलाप करते हों;
- (च) "स्थायी फुटपाथ विक्रेता" से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो अधिनियम की उपधारा 2(1)(ट) के अधीन यथानिर्दिष्ट किसी विशिष्ट स्थान में नियमित रूप से विक्रय क्रिया-कलाप करते हों;
- (छ) "प्राकृतिक बाजार" से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ विक्रेता और क्रेता उत्पादों के विक्रय और क्रय या पैसे पर आधारित सेवाएँ देने के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते हों और जिसे अधिनियम की उपधारा 2(1)(ड) के अधीन यथानिर्दिष्ट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किया गया हो;
- (ज) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2)(1)(च) के अधीन यथानिर्दिष्ट राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
- (झ) "योजना प्राधिकार" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2(1)(छ) के अधीन यथानिर्दिष्ट किसी नगर या शहर में नगरपालिका या कोई नगर विकास प्राधिकार या कोई अन्य प्राधिकार;
- (ञ) "स्कीम" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 38 के अधीन उपर्युक्त सरकार द्वारा बनाया गया स्कीम;
- (ट) "फुटपाथ विक्रेता" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2(1)(ठ) के अधीन यथानिर्दिष्ट फुटपाथ विक्रय में लगा हुआ कोई व्यक्ति;
- (ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची;
- (ड) "धारा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा;
- (ढ) "शहरी फुटपाथ विक्रय समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 के अधीन उपर्युक्त सरकार द्वारा गठित निकाय;
- (ण) "फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र या जगह या स्थान, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2(1)(ड) के अधीन यथानिर्दिष्ट योजना प्राधिकार द्वारा अभिहित किया गया हो।

अध्याय II

शहरी फुटपाथ विक्रय समिति

3. शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अवधि और उसके गठन की रीति।— (1) फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 22 की उपधारा (1) अधीन यथानिर्दिष्ट प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार एक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति गठित करेगी। अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट, यदि आवश्यकता हो तो, एक से ज्यादा या प्रत्येक वार्ड के लिए शहरी फुटपाथ विक्रय समिति का गठन किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन यथानिर्दिष्ट नगरपालिका आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यथास्थिति, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष होंगे। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (क) नगरपालिका आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी (वे शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष होंगे);
- (ख) नगर प्रबंधक/राजस्व पदाधिकारी (इन दोनों की अनुपस्थिति में, नगर विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनित नगर निकाय के अधिकारी) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के सदस्य सचिव होंगे।
- (ग) असैनिक शल्य चिकित्सक/चिकित्सा पदाधिकारी;
- (घ) जिला योजना पदाधिकारी/नगरपालिका अभियंता;
- (ङ) आरक्षी अधीक्षक/अन्य चयनित पदाधिकारी;
- (च) आरक्षी अधीक्षक, यातायात;
- (छ) अग्रणी बैंक प्रबंधक/प्रतिनिधिगण;
- (ज) चैम्बर ऑफ कॉमर्स (प्रतिनिधिगण);
- (झ) राष्ट्रीय अनौपचारिक मजदूर संघ;
- (ञ) गैर सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संगठन;
- (ट) फुटपाथ विक्रय संगठनों/संगमों/परिसंघों के प्रतिनिधिगण;
- (2) गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से कम नहीं होगी

- (3) फुटपाथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 40% से कम नहीं होगी।
- (4) फुटपाथ विक्रेताओं के एक तिहाई प्रतिनिधि महिला फुटपाथ विक्रेता होंगी।
- (5) गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों और राज्य फुटपाथ विक्रय संगठनों/संघों/परिसंघों के प्रतिनिधिगण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।
- (6) निर्वाचित सदस्यों की सामान्य पदावधि तीन वर्षों की होगी।
- (7) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अवधि 3 वर्षों की होगी।
4. फुटपाथ विक्रेताओं के बीच निर्वाचन की रीति।— (1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन फुटपाथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी के परामर्श से, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा किया जाएगा। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के इन सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया निम्नवत होगी:—

- (क) स्थानीय प्राधिकार उपयुक्त अर्थियों से अन्य सदस्यों की प्रत्येक कोटि की पात्रता, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं आवेदन जमा करने की रीति के ब्यौरा के साथ विहित फारमेट में आवेदन आमंत्रित करेगा।
- (ख) पूर्वोक्त नोटिस शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की सदस्यता हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से 30 दिन पहले प्रकाशित किया जाएगा।
- (ग) प्रत्येक कोटि में सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदनों की, पूर्व परिभाषित पात्रता मानदंड के आधार पर, एक संक्षिप्त सूची बनाई जाएगी।
- (घ) यदि कोटि विशेष हेतु प्राप्त आवेदन अपेक्षित संख्या से अधिक हो, तो जिला मजिस्ट्रेट और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष, लॉटरी के आधार पर, सदस्य का चयन करेंगे। ऐसी लॉटरी अभिरूचि रखने वाले पक्षकारों की उपस्थिति में होगी।
- (ङ) निर्वाचित सदस्यों सहित शहरी फुटपाथ विक्रय समिति का निर्माण उपयुक्त सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- (च) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति का ब्यौरा-उपयुक्त सरकार के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
- (2) पुनर्निर्वाचन में कोई रूकावट नहीं है। दो क्रमिक सदस्यों के पश्चात् पदासीन सदस्य का परिवर्तन वांछनीय होगा, फिर भी वह अपने पद पर बना रह सकता/सकती है, यदि कोई नया विज्ञापन न दिखता हो और आगे पदासीन अभ्यर्थी को अपने पद पर बने रहने में कोई आपत्ति नहीं हो। किसी नए अभ्यर्थी की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न हो और विद्यमान सदस्य के अपने पद पर बने रहने की अनिच्छा भी सामने न आने की दशा में उपयुक्त सरकार विद्यमान पदाधारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समूह के उपयुक्त अभ्यर्थी को नामित कर सकती है।

परंतु यह और कि पथ विक्रेताओं के औपचारिक/अनौपचारिक संगठनों/ संघों का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों का नामनिर्देशन सरकार द्वारा ऐसे मानदंड के आधार पर जो अधिकथित किया जाय, कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित या किसी अन्य रीति में विज्ञापित करने के पश्चात् आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

4.1. नगर विक्रय समिति के सदस्य का पद से हटाया जाना।— (1) नगर विक्रय समिति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह,—

- (क) अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसपर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगातार व्यतिक्रम करता है या अपनी शक्तियों से परे कार्य करता है या उनका दुरुपयोग करता है,
- (ख) अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना समिति की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है,
- (ग) किसी विधि के न्यायालय द्वारा किसी दंडिक मामले में दोषसिद्ध हो।

परंतु ऐसे सदस्य को उसको हटाये जाने से पूर्व सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

5. अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष एवं सदस्यों के भत्ते।— विक्रय समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने कार्यालय में लाभ का पद नहीं लिया है, वे नगर विक्रय समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिये समय-समय पर संबंधित नगर विक्रय समिति द्वारा नियत भत्ते प्राप्त करेंगे।

6. बैठक का समय और स्थान, बैठक में कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा निर्वाहित किए जानेवाले कृत्य।— शहरी फुटपाथ विक्रय समिति अपने कारबार के संचालन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियागत बिंदुओं को विनिश्चित करेगी, जिसका ब्यौरा यहाँ इसके बाद फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 23 के अधीन सूचीबद्ध है:—

- (1) बैठक की तिथि, समय और स्थान शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे;

- (2) बैठक की नोटिस, ऐसी बैठक के लिए निर्धारित समय से कम-से-कम सात दिन पहले, समिति के प्रत्येक सदस्य को उनके द्वारा दिए गए पता पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा। बैठक की नोटिस में बैठक का स्थान, तिथि और समय दिया रहेगा और कारबार की सूची बैठक में संव्यवहारित की जाएगी;
- (3) अध्यक्ष अनुसूचित बैठक के 7 दिन पहले नोटिस निर्गत करेंगे; मर्दों की कार्यसूची प्रत्येक सदस्यों को परिचालित की जाएगी और सरकारी अभिहित वेबसाइट पर भी यह कार्यसूची डाली जाएगी। प्रत्येक कार्यसूची मद प्रशासन द्वारा स्पष्ट अनुशंसा सहित अंतर्भावित मुद्दों को स्पष्ट करने वाले सुविस्तृत टिप्पण द्वारा भी साथ लगाया जाएगा। टिप्पणों सहित कार्यसूची दस्तावेज हिन्दी या अंग्रेजी में होने चाहिए, यदि शहरी फुटपाथ विक्रय समिति विनिश्चित करती हो;
- (4) समिति की बैठक प्रत्येक 3 महीने में कम-से-कम एक बार बुलाई जाएगी;
- (5) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के कुल सदस्यों के न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर विशेष मुद्दे के लिए अध्यक्ष बैठक केवल अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी। सदस्यों की अपेक्षित संख्या से उस हेतु अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बैठक बुलाई जाएगी।
- (6) राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की पहली बैठक नियत की जाएगी ;
- (7) बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा। मतों की बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार होगा;
- (8) सदस्य-सचिव प्रत्येक बैठक के अभिलेखन एवं कार्यवाहियों के लिए एक कार्यवृत्त-पुस्तक का संधारण करेंगे और इसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे। बैठक प्रारंभ होने से पहले इसमें उपस्थित होनेवाले सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवृत्त-पुस्तक में अभिलिखित होंगे और प्रत्येक बैठक में कार्यवाहियों का समुचित अभिलेखन एवं अपनाए गए संकल्पों को कार्यवृत्त-पुस्तक में संधारित किया जाएगा। कार्यवृत्त-पुस्तक को शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की उत्तरवर्ती बैठक में अध्यक्ष की संपुष्टि हेतु उपस्थापित किया जाएगा;
- (9) गणपूर्ति - बैठक के लिए गणपूर्ति शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के कुल सदस्यों के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों से होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक की कार्यवाही नहीं होगी और इसे स्थगित कर दिया जाएगा;
- (10) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की बैठक में निम्नलिखित कृत्यों के निर्वहन किए जाएंगे :-
- स्थानीय प्राधिकार द्वारा सविस्तार प्रस्तुत किए गए धारण-क्षमता सहित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों के बारे में अंतिम विनिश्चय ;
 - फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना, रोक रखा जाना, निलंबित किया जाना और रद्द किया जाना;
 - अधिनियम के कार्यान्वयन पर पहल किए गए सामाजिक संपरीक्षा प्राप्त करना
 - प्रक्षेत्रीकरण पर विनिश्चयकरण हेतु, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को स्थानीय प्राधिकार से आधारस्मृत सामग्री/डाटा प्राप्त होगा। विनियमावली और योजना फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों को चिह्नित करेगी। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को प्रत्येक व्यक्तिगत फुटपाथ विक्रेता को आवंटित किए जानेवाले प्रक्षेत्र या क्षेत्र के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध होने की दशा में यह योजना के समुचित रूप से उपांतरण हेतु योजना एवं स्थानीय प्राधिकार का ध्यानाकृष्ट कर सकेगी। प्राधिकार की राय प्राप्त करने के पश्चात्, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति समुचित विनिश्चय कर सकेगी;
 - स्थानीय प्राधिकार की अनुशंसा पर, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति सहज बाजार, साप्ताहिक बाजार, विरासती बाजार, त्योहारी बाजार, मौसमी बाजार, रात्रि बाजार और ताख बाजार, उनके सही अवरथान के साथ और मौसमी बाजार या त्योहारी बाजार की स्थिति में, विशिष्ट अवधि की घोषणा करेगी;
 - फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों के बारे में अनुशंसाएँ और परिवर्तनों का सुझाव देते वक्त, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति संबंधित क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई, यातायात की स्थिति और पैदल यात्रियों के आवागमन को ध्यान में रखेगी।

7. रीति और प्रयोजन जिसके लिए कोई व्यक्ति शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के साथ संबद्ध किया जा सकेगा।- अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति फुटपाथ विक्रय और स्थानिक योजना के लिए अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को संबद्ध कर सकता है। ऐसे विशेषज्ञ को सुझाव के लिए किसी बैठक में भाग लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन वह बैठक में मतदान नहीं कर सकता है।

8. संबद्ध व्यक्ति के भत्ते। - अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन संबद्ध व्यक्तियों को शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा यथाविनिश्चित भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

9. शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के कर्मचारी। - शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को अपना स्थायी कार्यालय स्थानीय प्राधिकार द्वारा आवंटित जगह में होगा। स्थानीय प्राधिकार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अनुरोध पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करायेंगे, लेकिन ये स्टाफ शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के स्टाफ नहीं होंगे।

10. सभी फुटपाथ विक्रेताओं के अद्यतन अभिलेख का संधारण। - अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति कुल फुटपाथ विक्रेताओं का कोटिवार, रजिस्ट्रीकृत विक्रेताओं, निर्गत पहचान-पत्र, शुल्कों, कोई अन्य प्रमारों, बकायों एवं वसूली, उपगत व्यय के ब्यौरा से संबंधित समुचित अभिलेखों का संधारण करेगी। अन्य सुसंगत अभिलेख भी शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा संधारित किए जाएंगे।

अध्याय III

विवाद निवारण क्रियाविधि

11. नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकार में अपील दायर करने की अवधि और रीति।-फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 11 की उपधारा (1), फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र के निर्गत या उस प्रमाण-पत्र के निलम्बन या रद्द किए जाने की बाबत शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के किसी विनिश्चय से कोई व्यथित आवेदक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के उस विनिश्चय के एक महीने के अंतर्गत नगरपालिका आयुक्त/संबंधित स्थानीय प्राधिकार के कार्यपालक पदाधिकारी को विहित फारमेट (प्रपत्र-क) में अपील दायर करेगा। नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालिका पदाधिकारी उस आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई (अधिनियम की धारा 11 (1)) का अवसर देने के पश्चात् आवेदक के अभ्यावेदन पर आख्यापक आदेश के साथ अस्वीकृत या स्वीकृत करते हुए आवेदन की तिथि से एकमाह के भीतर उसके अपील का निपटारा करेगा।

12. उपयुक्त सरकार द्वारा विवाद निवारण हेतु समिति का गठन।- अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन, एक या एक से अधिक शिकायत निवारण समिति विवाद के समाधान के लिए सरकार द्वारा गठित की जाएगी। राज्य में शिकायत निवारण समितियाँ निम्नलिखित रीति से मौजूद होंगी :-

(i) उपयुक्त सरकार सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी। उस प्रादेशिक भाग में नगर निगम का सेवानिवृत्त अपर/उप नगरपालिका आयुक्त या नगरपालिका के सेवानिवृत्त कार्यपालिका पदाधिकारी को समिति के द्वितीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, जबकि उसी प्रादेशिक भाग में फुटपाथ विक्रय सहित अनौपचारिक अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता को समुचित सरकार द्वारा समिति के अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी :

परंतु कोई अध्यक्ष उस रूप में 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पदधरण नहीं करेगा।

13. आवेदन करने का प्रपत्र और उसकी रीति।- (1) प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता, जिसको अधिनियम के अधीन किसी बात को लेकर शिकायत हो अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, अपना नाम, आवास का पता, शिकायत के ब्यौरा सहित विहित फारमेट (प्रपत्र ख) में स्वयं या अपने संबद्ध संघ के माध्यम से लिखित में आवेदन कर सकेगा।

(2) शिकायत वाली किसी घटना के होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर फुटपाथ विक्रेता द्वारा आवेदन देना होगा।

14. सत्यापन और जाँच की रीति।- शिकायत या विवाद प्राप्त होने के पश्चात् अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन विवादों के समाधान और शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:-

(i) फुटपाथ विक्रेता आवेदन के लंबित रहने के समय अंतरिम सहायता के लिए अनुरोध कर सकेगा। आवेदन की प्राप्ति पर, समिति यह अवधारित करने के लिए आवेदक की प्रारंभिक सुनवाई करेगी कि क्या यह प्रथम दृष्टया मामला बनता है;

(ii) प्रारंभिक सुनवाई के परिणाम को सुनवाई के निष्कर्ष के रूप में सुनाया जाएगा और लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा। समिति लिखित रूप में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से फुटपाथ विक्रेता द्वारा प्रार्थित किसी अंतरिम सहायता को मंजूर या नामंजूर कर सकेगी;

(iii) पूर्वोक्त आदेश से फुटपाथ विक्रेता को संसूचित किया जाएगा और जहाँ यह लगे कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, शिकायत के ब्यौरों को समावेशित करते हुए एक नोटिस समुचित प्राधिकार को निर्गत किया जाएगा;

(iv) समुचित प्राधिकार नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर लिखित रूप में उत्तर देगा। उस उत्तर की प्रति उस फुटपाथ विक्रेता को भी बिना लागत के दी जायेगी;

- (v) फुटपाथ विक्रेता लिखित रूप में उत्तर की प्राप्ति की तिथि से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर पूर्वोक्त लिखित रूप में उत्तर पर अपना जवाब दे सकेगा;
- (vi) समिति दोनों पक्षकारों की व्यक्तिगत सुनवाई करेगी और एक महीने के भीतर विनिश्चय के लिए कारण सहित लिखित रूप में आदेश पारित करेगी।

15. अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन समय और रीति, जिसके तहत अपील दायर किया जा सकेगा। - (1) पूर्वोक्त आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति नगरपालिका आयुक्त/सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकार के कार्यपालिका पदाधिकारी के समक्ष लिखित रूप में अपील दायर कर सकेगा। ऐसे अपील में व्यथित व्यक्ति के नाम, उम्र और पता, समिति द्वारा निर्गत आदेश के ब्यौरा और विहित फारमेट (प्रपत्र ग) में अपील के आधार अंतर्विष्ट होंगे। अपील के साथ आदेश की प्रति और फुटपाथ विक्रेता के फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि निर्गत हुआ हो, संलग्न रहेगी।

(2) कोई भी अपील समिति के आदेश की तिथि से 30 दिनों के पश्चात् दायर नहीं किया जाएगा।

16. समय और रीति, जिसके भीतर और जिस रीति से अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन अपील का निपटारा किया जाएगा- (1) अपील की प्राप्ति पर, स्थानीय प्राधिकार सुनवाई की तिथि और समय से अवगत कराते हुए सम्बद्ध पक्षकारों को नोटिस निर्गत करेगा।

(2) पक्षकार सुनवाई के लिए, नियत किसी तिथि पर स्थानीय प्राधिकार के समक्ष हाजिर होंगे जो अपील दायर करने की तिथि से 30 दिनों के बाद की नहीं होगी।

(3) स्थानीय प्राधिकार 30 दिनों के भीतर दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपना आदेश सुनाएगा।

अध्याय IV

प्रकीर्ण

17. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन फुटपाथ विक्रय के लिए उम्र-धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कराए गए सर्वेक्षण में चिन्हित प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता को जिन्होंने 14 वर्ष की आयु या उपयुक्त सरकार द्वारा यथाविहित आयु पूरी कर ली हो, ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन एवं स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तथा फुटपाथ विक्रय हेतु योजना में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा :

परंतु किसी व्यक्ति को, चाहे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण में सम्मिलित हा या नहीं हो, जिसे इस अधिनियम के लागू होने के पहले फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया हो, चाहे उसे रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र/पहचान पत्र या अनुमति के किसी अन्य रूप में जाना जाए (चाहे स्थावर फुटपाथ विक्रेता या चलंत फुटपाथ विक्रेता या किसी अन्य कोटि के अधीन हो), उस कोटि के लिए और उस निर्गत फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित अवधि के लिए फुटपाथ विक्रेता समझा जाएगा।

18. प्रतिवेदनों एवं विवरणियों का समर्पित किया जाना-शहरी फुटपाथ विक्रय समिति प्रतिवेदन एवं विवरणी निम्न रूप में समर्पित करेगी :-

(क) अपने लेखा की वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष तैयार करना और नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकार को वर्ष के मई महीने की 31 तारीख तक समर्पित करना, जिसे अनुमोदनोपरांत, सरकार के जिला एवं राज्य नोडल पदाधिकारी को भेजा जाएगा;

(ख) अपने कृत्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष तैयार करना और नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकार को जुलाई माह की 31 वीं तारीख तक समर्पित करना, जिसे अपनी समुक्तियों सहित, यदि कोई हो, सरकार के जिला एवं राज्य नोडल पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा;

(ग) त्रैमासिक अनुपालन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही की 10 वीं तारीख तक नगरपालिका को समर्पित करना।

19. स्कीम का सारांश प्रकाशित करने की रीति। - स्कीम का सारांश निम्नलिखित रूप से प्रकाशित किया जाएगा:-

- अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम के सारांश को शहर में व्यापक परिचालन वाले कम-से-कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।
- स्कीम के सारांश को नगरपालिका के कार्यालय में भी प्रमुखता से संप्रदर्शित किया जाएगा।
- प्रत्येक नगरपालिका नगर क्षेत्र में समुचित स्थानों पर दीवाल-लेखन, परचा या कोई अन्य साधन द्वारा स्कीम की प्रमुख विशिष्टताओं को सार्वजनिक करेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

207
458

प्रपत्र-क
(नियम-11)

अधिनियम की धारा 11 के अधीन शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के विनिश्चयन हेतु महापौर/
अध्यक्ष के सम्मक्ष अपील।

फेरीवाला का ब्यौरा

तिथि

नाम-	
पता-	
विक्रय का स्थान-	
विक्रय की प्रकृति-	
रजिस्ट्रेशन संख्या-	
रजिस्ट्रेशन की तिथि-	

शिकायत का ब्यौरा:-

शिकायत का विषय (सुसंगत कोष्ठ में निशान लगाएँ)	क. फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निर्गत होना ख. फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र का निलम्बन या रद्द किया जाना।
शिकायत का संक्षिप्त विवरण (रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र/रद्द किए जाने की नोटिस की प्रति संलग्न करें)	

शिकायत प्राप्ति की तिथि

शिकायत प्राप्तकर्ता

अभिस्वीकृति संख्या

प्रपत्र - ख

(नियम-13 (1))

अधिनियम की धारा 20 के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपील-
फेरीवाला का ब्यौरा तिथि

नाम-	
जन्मतिथि/आयु-	
पता-	
विक्रय का स्थान-	
विक्रय की प्रकृति-	
रजिस्ट्रेशन संख्या-	
रजिस्ट्रेशन तिथि-	

शिकायत का ब्यौरा

शिकायत का संक्षिप्त विवरण (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
---	--

शिकायत प्राप्ति की तिथि

.....

शिकायत प्राप्तकर्ता

.....

अभिस्वीकृति संख्या

.....

प्रपत्र - ग

(नियम-15 (1))

अधिनियम की धारा 20 के अधीन शिकायत निवारण समिति के आदेश / निर्णय के आलोक में
महापौर/ अध्यक्ष के समक्ष अपील
फेरीवाला का ब्यौरा तिथि

नाम-	
जन्मतिथि/आयु-	
पता-	
विक्रय का स्थान-	
विक्रय की प्रकृति-	
रजिस्ट्रेशन संख्या-	
रजिस्ट्रेशन तिथि-	

शिकायत का ब्यौरा

शिकायत का संक्षिप्त विवरण (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
---	--

शिकायत निवारण समिति द्वारा लिए गए विनिश्चय का ब्यौरा (विनिश्चय की प्रति संलग्न करें)	
---	--

शिकायत प्राप्ति की तिथि

शिकायत प्राप्तकर्ता

अभिस्वीकृति संख्या

15 फरवरी 2017

सं० 04/SV(NULM)-04/2015-414/ नॉवि०एवंआ०वि०, सं० 04/SV(NULM)-04/2015-413/नॉवि०एवं
आ०वि०, दिनांक 15 फरवरी 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा
प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चैतन्य प्रसाद,
प्रधान सचिव।

The 15th February 2017

Bihar Street Vendors (Protection of livelihood and regulation of Street Vending) Rules'2017
File No.- 04/SV(NULM)-04/2015-413/UD&HD— In exercise of the powers conferred by Section-36 of Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulations of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014), the state government of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to carry out the provisions of the said Act;

CHAPTER -1
PRILIMINARY

1. Short title extent and commencement.— (1) These Rules may be called **Bihar Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules' 2017** for the State of Bihar

- (2) It shall extent to the whole of the state of Bihar.
 (3) It shall come in to force at once.

2. Definition. - In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

- (a) "Act" means the Street Vendors (Protections of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act'2014.
 (b) "Appropriate Government" means the State Government in respect of matters relating to the State Government as referred under sub section (1) of section 2 of the Act;
 (c) "Holding capacity" means the maximum number of street vendors who can be accommodated in ary vending zone and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee as referred under sub-section 2(1)(b) of the Act.
 (d) "Local authority" means a Municipal Corporation or a Municipal Council or a Nagar Panchayat, by whatever name called, or the Cantonment Board, or as the case may be, a civil area committee appointed under section 47 of the Cantonment Act, 2006 or such other body entitled to function as a local authority in any city or town to provide civic services and regulate street vending and includes the "planning authority" which regulates the land use in that city or town;
 (e) "Mobile vendor" means Street Vendors who carry out vending activities in designated area by moving from one place to another place as referred under subsection (2)(1)(d) of Section-2 of the Act.
 (f) "Stationary vendors" means street vendors who carry out vending activities on regular basis at a specific location as referred under sub-section 2 (1)(k) of the Act.
 (g) "Natural market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee as referred under sub-section 2(1)(e) of the Act.
 (h) "Notification" means a notification published in the official gazette as referred under sub. Section (2)(1)(f) of section-2 of the Act.
 (i) "Planning authority" means a Municipality or any Urban Development Authority or any other authority in any city or town as referred under Subsection 2(1)(g) of section 2 of the Act.
 (j) "Scheme" means a scheme framed by the appropriate Government under Section 38 of the Act.
 (k) "Street vendor" means a person engaged in vending as referred under sub-section 2(1)(L) of Section -2 of the Act.
 (l) "Schedule" means Schedule annexed to these rules.
 (m) "Section" means of Section of the Act.
 (n) "Town Vending Committee" means the body constituted by appropriate Government under section 22 of the Act.

- (o) "Vending zone" means an area or place or a location designated as such by the planning authority as referred under sub-Section 2(1)(n) of section -2 of the Act.

**CHAPTER -II
TOWN VENDING COMMITTEE**

3. The term of, and the manner of Constituting of Town Vending Committee. – (1) The Government shall constitute a Town Vending Committee (TVC) in each local authority as referred under section 22(1), the street vendors (protection of livelihood and regulation of street vending) act'2014. Provided that the appropriate Government may, if considers necessary, provide for constitution of more than one Town Vending Committee, or a Town Vending Committee for each zone or ward, in each local authority. Under section 22(II) the Municipal Commissioner or Executive Officer, as the case may be, shall be the chairperson of the Town Vending Committee. Following shall be the members of TVC :-

- (a) Municipal Commissioner or Executive Officer (He will be the Chairperson of the TVC)
 - (b) City Manager/ Revenue Officer (in absence of those, any official from ULB nominated by the Chairperson of TVC) will be the member Secretary of the TVC
 - (c) Civil Surgeon/ Medical Officer
 - (d) District Planning Officer/ Municipal Engineer
 - (e) Superintendent of Police/ Other selected officer
 - (f) SP Traffic
 - (g) Lead Bank Manager/ representative
 - (h) Chamber of Commerce (Representative)
 - (i) National Union for Informal Workers
 - (j) Non-Government Organizations/ Community Based Organizations
 - (k) Representative of Street vending Organizations/ Associations/ Federations
- (2) The number of representatives of Non-Government Organizations/ Community Based Organizations will not be less than 10% of the total number of members in the committee.
 - (3) The number of representatives of street vendor will not be less than 40% of the total number of members in the committee.
 - (4) One- third of the representatives of street vendors will be women vendors.
 - (5) The representatives from Non-Government Organizations/ Community Based Organizations and Street vending Organizations/ Associations/ Federations will be nominated by the District Magistrate.
 - (6) The normal term of office for the nominated members will be three years.
 - (7) The term of TVC will be three years.

4. The manner of nomination among Street Vendors.—(1) The nomination of the representatives of Street Vendors under clause (b) of sub-section (2) of section 22 of the Act, will be undertaken by the office of the District Magistrate, in consultation with Municipal Commissioner/ Executive Officer. The procedure for nomination of these members of TVC will be as follows:-

- (a) The local authority shall invite applications from suitable candidates in prescribed format with details of eligibility to each category of other members, last date of submission and manner of submission of the application.
- (b) The aforesaid notice will be published 30 days prior to the last date for the submission of applications for membership of TVC.
- (c) The applications received for membership in each category will be shortlisted based on pre-defined eligibility criteria.

- (d) If application received for a particular category is more than the required numbers, the District Magistrate and the Chairperson of the TVC will select the member on the basis of lottery. Such lottery should be held in the presence of the interested parties.
- (e) The formation of the TVC including the nominated members will be published in the Government gazette by the appropriate Government.
- (f) The details of the TVC will be published on the website of the appropriate government.

(2) Change of the seating member after two consecutive meetings will be desirable, however he/ she may be continued if there is no response to fresh advertisement and further the seating candidate has no objection to continue. In case of no response from any fresh candidate and unwillingness of the existing member to continue, the appropriate Government may nominate a suitable candidate of the group represented by the existing incumbent.

Provided further the nomination of members representing informal/formal street vendors associations or federations shall be carried out on the basis of such criteria as may be laid down by the Government, after inviting applications, as such, by publishing the same in at least two local newspapers or publishing in any other manner.

4.1. Removal of a member of Town Vending Committee.—Any member of a Town Vending Committee may be removed by the Government from the committee, if he,

- (a) Persistently makes defaults in the performance of his duties imposed on him under the Act and these rules or exceeds or abuses its powers;
- (b) Remains absent for three consecutive meetings of the Committee without the permission of the Chairperson;
- (c) Is convicted of any criminal case by any court of law:

Provided that such member shall be given a reasonable opportunity of being heard before his removal.

5. Allowance of Chairperson and members under Sub-section (3) of section 22 of the Act.— The allowances payable to the members of a town vending committee, who do not hold any office of profit, for attending each meeting of Town Vending Committee, shall be fixed by the concerned TVC from time to time.

6. Time and place for meeting, procedure for transaction of business at meeting and functions to be discharged by the Town Vending Committee.— TVC will decide various procedural points relating to the conduct of its business. The details of which are listed hereafter under section 23 of Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act' 2014:

- (1) The date, time and place for the meeting will be decided by the chairperson of TVC;
- (2) A notice of the meeting will be sent by registered post to the address, given by himself, of each member of the Committee, at least seven days before the time fixed for such meeting. The notice of the meeting will contain place, date and time of the meeting and a list of business will be transacted at the meeting;
- (3) Chairperson will issue the notice before Seven days of the scheduled meeting; agenda of the items will be circulated to the members and put up on official designated website. Each agenda item will be also accompanied by a detailed note bringing out the issues involved with clear recommendation by the administration. The agenda papers including the notes should be in Hindi or English, if the TVC decides so;
- (4) Meeting of the committee will be held at least once every three months;
- (5) Requisition meeting can be only called by Chairperson on a specific issue on the request of minimum 1/3rd of the total members of the TVC. The meeting will be called within 15 days after receiving the request for the same from the required number of members;

- (6) The first meeting of TVC will be fixed within 15 days of the publication of the Gazette notification;
- (7) Decision will be taken based on the majority of present members in the meeting. In case of equality of votes, the Chairperson will have the right of casting vote;
- (8) The Member Secretary will maintain a minute book for recording and proceedings of every meeting and will keep it in his safe custody. The minute book will record the signature of the members attending the meeting before its commencement and proper recording of proceedings and resolutions adopted at every meeting will be maintained in the minute's book. Minute's book would be put up in the subsequent meeting of TVC for confirmation by the Chairperson;
- (9) Quorum – The quorum for the meeting will be at least 1/3rd of the total members of TVC. Meeting will not be carried out in the absence of the quorum and it will be adjourned;
- (10) Following functions will be discharged in the meeting of TVC :-
- (i) Final Decision about Vending Zones along with their holding capacity as worked out by the local authority;
 - (ii) Issuing, withholding, suspending and cancelling of the Vending Certificate;
 - (iii) Getting a social audit initiated on the implementation of the Act;
 - (iv) For deciding the zoning, the TVC will have the base materials/ data from the local authority. Regulations and the planning will identify the Vending Zones. In case the TVC has got any points to be made about the zone or about the area to be allotted to each individual vendor it can draw the attention of the planning and local authority to suitably modify the plan. After obtaining the opinion of the authority, the TVC may take an appropriate decision;
 - (v) On the recommendation of the local authority, TVC will declare the natural market, weekly market, heritage market, festive market, seasonal market, night bazaar and niche market with their exact location and specific period in case of seasonal market or festival market;
 - (vi) While making recommendations and suggesting changes about the Vending Zones, the TVC will have to take into consideration the road width, traffic flow and the pedestrian movement in the concerned area;

7. The manner and the purpose for which a person may be associated with TVC.—Under Sub-section (1) of section 24 of the Act, TVC may associate any expert in the field of informal economy for Street Vending and Spatial Planning. Such an expert will have the right to take part in any meeting and give suggestions but he cannot cast his vote in the meeting.

8. Allowances of associated person.—Under sub section (2) of Section 24 of the Act, associated persons will be paid allowances as determined by the Chairperson of TVC.

9. Employees of Town Vending Committee.— TVC will have its permanent office in the space allotted by local authority. Local Authority will provide adequate staffs on the request of TVC but staffs will not be the permanent staffs of TVC.

10. Maintaining of up to date record of all Street Vendors.—Under Sub-section (2) of section 26 of the Act, Town Vending Committee will maintain proper records pertaining to details of total vendors, category wise, registered vendors, I-card issued, fees, any other charges, dues and collection, expenditure incurred etc. Other relevant records will be also maintained by TVC.

CHAPTER - III
DISPUTE REDRESSAL COMMITTEE

11. The period and the manner of filing appeal in the Municipality/ local authority.— Under sub section (1) of Section 11 of the Street Vendors (protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act 2014, an applicant who is aggrieved by any decision of the TVC with respect to issue of certificate of vending or cancellation or suspension of certificate, will appeal to Mayor/ Chairperson of the local authority concerned within one month of the decision of TVC in the prescribed Format (Form - A). The Mayor / Chairperson will dispose his/ her appeal within one month from the date of application whether by rejecting or accepting it with a speaking order on applicant's representation after giving him a personal hearing [Section 11(1)].

12. Constitution of Committees for the redressal of dispute by appropriate Government.— Under sub-section (1) of section 20 of the Act, One or more Grievance Redressal Committee will be constituted by the Government for the solution of dispute. The Grievance Redressal Committees (GRCs) in the state will present in the following manner:

- (i) Appropriate Government will appoint a retired Civil Judge or a retired Judicial Magistrate as the chairperson of the GRC. A retired Additional/ Deputy Municipal Commissioner of a Municipal Corporation or retired Executive Officer of a municipality in the region may be appointed as second member of the committee whereas a prominent social worker, preferably having experience in the field of informal economy including Street Vending in the same region may be appointed as the other member of the Committee by the Appropriate Government.
- (ii) The tenure of GRC will be for the period of three years, or till such time as Government appoints a new committee.

13. The form and the manner of making application.- (1) Every Street Vendor who has a grievance under the Act, except specified in Section 11, may file an application in writing in prescribed format (Form B), himself or through his affiliated union including specifying his/ her name, place of residence and details of the grievance.

(2) Application shall have to be filed by a Street Vendor within 30 days from the date of occurrence of any incident causing the grievance,

14. The manner of verification and inquiry.- After receiving of grievances or dispute, following steps will be taken for redressal of grievances and resolution of disputes under sub-section (3) of section 20 of the Act.-

- (i) The Street Vendor may request for interim relief during the pendency of the application. On receipt of an application, the committee shall hold a preliminary hearing with the applicant to determine whether there is a prima facie case.
- (ii) The result of the preliminary hearing will be pronounced at the conclusion of the hearing and recorded in writing. The committee may grant or refuse the interim relief, if any, prayed by the Street Vendor, with reasons recorded in writing.
- (iii) The aforesaid order will be communicated to the Street Vendor and where it is held that there is a prima facie case, a notice shall also be issued to the Appropriate Authority containing the details of the grievance.
- (iv) The Appropriate Authority will file a written reply within 4 weeks from the date of receipt of the notice. A copy of the reply shall also be furnished to the Street Vendor, free of cost.
- (v) The Street Vendor may file a reply to the aforesaid written reply within a period of two weeks from the date of receipt of the written reply.
- (vi) The committee will give personal hearing to both parties and shall pass an order in writing, with reasons for taking the decision within one month.

15. Time and manner in which an appeal may be filed under sub-section (4) of section 20 of the Act.-

- (1) Any person aggrieved by the aforesaid order, can file an appeal in writing to the Mayor/ Chairperson of the local authority concerned. Such appeal shall contain the name, age and address of the aggrieved person, details of the order issued by the committee and grounds for appeal in prescribed format (Form C). The appeal

shall be accompanied with a copy of the order and a copy of the Vending Certificate of the Street Vendor, if issued.

(2) No appeal will be filed later than thirty days from the date of the order of the Committee.

16. *The time and the manner in which an appeal shall be disposed of under Subsection (5) of section 20 of the Act.-*

(1) On receipt of the appeal, the local authority shall issue a notice to the parties concerned intimating the date and time of hearing.

(2) The parties will appear before the local authority on the date appointed for hearing, which will not be later than thirty days from the date of filing of appeal.

(3) The local authority shall pronounce its order after giving both parties an opportunity of being heard within thirty days.

CHAPTER -IV
MISCELLANEOUS

17. *Age for street vending under sub-section (1) of section 4 of the Act.—*(1) Every street vendor, identified under the survey carried out under sub-section (1) of section 3, who has completed the age of fourteen years or such age as may be prescribed by the appropriate Government, shall be issued a certificate of vending by Town Vending Committee, subject to such terms and conditions and within the period specified in the scheme including the restrictions specified in the plan for street vending:

Provided that a person, whether or not included under the survey under sub-section (1) of section 3, who has been issued a certificate of vending before the commencement of this Act, whether known as Registration Certificate/ I-Card or any other form of permission (whether as a stationary vendor or a mobile vendor or under any other category) shall be deemed to be a street vendor for that category for the period for which he has been issued such certificate of vending.

18. *Submission of reports and returns.—*The Town Vending Committee will submit the report and returns as follows:-

(a) Prepare every year an annual statement of its accounts and submit to the Municipality/ Local Authority by 31st May of the year, which after approval, shall be sent to the district and state nodal officer of the Government.

(b) Prepare every year an annual report on its functioning and submit by 31st July to the Municipality/ Local authority, which in turn, with its observations, if any shall forward to the district/ state nodal officer of the Government.

(c) Submit quarterly performance report to the Municipality by 10th day of every quarter of the financial year.

19. *The manner of publishing summary of scheme.—* Summary of the scheme shall be published in the following manner:-

(i) The summary of the scheme under Sub-section (2) of section 38 will be published in at least two local daily news papers in Hindi having wide circulation in the city.

(ii) The summary of the scheme will also be prominently displayed in the office of the Municipality.

(iii) Every municipality will make public the salient features of the scheme by wall writing, hand bill or any other means at appropriate places in the city area.

By the order of the Governor of Bihar,

CHAITANYA PRASAD,

Principal Secretary.

98
946

FORM- A
[Rule -11]

Appeal to Mayor/Chairperson for the Decision of Town Vending Committee under
Section 11 of the Act

Date: _____

Details of Vendor

Name:	
Address:	
Place of Vending:	
Nature of Vending:	
Registration Number	
Date of Registration	

Details of Grievance

Subject of Grievance (Tick the relevant box)	a. Issue of Certificate for Vending	
	b. Cancellation or Suspension of Certificate for Vending	
Brief Description of Grievance (Attach copy of registration certificate/ cancellation notice)		

Date of receipt of Grievance: _____

Grievance received by: _____

Acknowledgement Number: _____

(19-2/945)

FORM - B
[Rule-13(1)]

Appeal to Grievance Redressal Committee under Section 20 of the Act.

Date: _____

Details of Vendor

Name	
Date of Birth/ Age	
Address	
Place of Vending	
Nature of Vending	
Registration Number	
Registration Date	

Details of Grievance

<p>Brief Description of Grievance</p> <p>(Attach copy of registration certificate)</p>	
---	--

Date of receipt of Grievance: _____

Grievance received by: _____

Acknowledgement Number: _____

196
944

18

बिहार गजट (असाधारण), 16 फरवरी 2017

FORM - C

[Rule-15(1)]

Appeal to Mayor / Chairperson for issued order by Grievance Redressal Committee under Section 20 of the Act.

Date:

Details of Vendor

Name	
Date of Birth/ Age	
Address	
Place of Vending	
Nature of Vending	
Registration Number	
Registration Date	

Details of Grievance

Brief Description of Grievance (Attach copy of registration certificate)	
Details of Decision taken by Grievance Redressal Committee (Attach copy of decision)	

Date of receipt of Grievance: _____

Grievance received by: _____

Acknowledgement Number: _____

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 118-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

(195)
993

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ 1938 (श0)
(सं0 पटना 119) पटना, वृहस्पतिवार, 16 फरवरी 2017

नगर विकास एवं आवास विभाग.

अधिसूचनाएं

15 फरवरी 2017

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2017

सं0 04/SV(NULM)-04/2015-415/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार नगर स्थानीय निकायों एवं शहरी फुटपाथ विक्रय समितियों से परामर्श कर एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित स्कीम बनाती है, यथा—

अध्याय—I

प्रस्तावना।

- संक्षिप्त नाम एवं आरंभ।— (1) यह स्कीम बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2017 कही जा सकेगी।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें तथा राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं के लिए अलग-अलग तारीख नियत की जा सकेगी।
- परिभाषाएँ।— (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —
 - 'अधिनियम' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 केन्द्रीय अधिनियम 7/2014;
 - 'उपयुक्त सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
 - 'स्थानीय प्राधिकार' से अभिप्रेत है नगर निगम या नगर परिषद् या नगर पंचायत या जिस नाम से जाना जाता हो (या छावनी बोर्ड, या जैसी स्थिति हो, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 47 के अधीन नियुक्त असैनिक क्षेत्र समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, जो उस नगर या शहर में नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराने एवं फुटपाथ विक्रय विनियमित करने हेतु किसी नगर या शहर में स्थानीय प्राधिकार के रूप में कृत्य करने को अधिकृत हो;
 - 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और पद 'अधिसूचित करना' तदनुसार समझा जाएगा;
 - 'फुटपाथ विक्रेताओं से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति, जो दिनानुदिन उपयोगी वस्तुओं, उत्पादों, खाद्य सामग्रियों और सदृश पदार्थों को गली, फुटपाथ, सड़क, खड़ंगा, पार्श्वपथ, सार्वजनिक पार्क या

194

- किसी अन्य सार्वजनिक स्थान अथवा निजी क्षेत्र या किसी अस्थायी संरचना पर फुटपाथ विक्रय में लगे रहते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए विक्रय करते हैं, और इस फुटपाथ विक्रय में पैसे पर आधारित सेवा उपलब्ध कराना भी शामिल है और ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं के नाम स्थानीय या क्षेत्र विशेष के आधार पर फेरीवाला, ठेलावाला, खोमचावाला, रेहड़ीवाला जैसे पर्यायवाची नाम शामिल हो सकते हैं और अपने व्याकरणात्मक फेर-फार और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित 'फुटपाथ विक्रय' शब्द तदनुसार सन्निर्मित किया जाएगा;
- (च) 'स्थायी फुटपाथ विक्रेताओं' से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो किसी स्थान विशेष पर रोजाना फुटपाथ विक्रय में लगे रहते हैं;
- (छ) 'चलंत फुटपाथ विक्रेता' से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो अपने उत्पादों को विक्रय करने एवं पैसे पर आधारित सेवाएँ देने के लिए अभिहित क्षेत्र में विक्रय क्रिया-कलाप एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए करते हैं;
- (ज) 'त्योहारी बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ नगर या शहर के त्योहार के दिनों में विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए या पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर, स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;
- (झ) 'विरासती बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जो एक ही स्थान पर 50 वर्षों से अधिक समय तक अस्तित्व में रहा हो और जहाँ विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;
- (ञ) 'प्राकृतिक बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;
- (ट) 'ताख बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार जहाँ विक्रेता एवं क्रेता ताख पर रखने योग्य उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;
- (ठ) 'रात्रि बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से शाम के बाद यानी रात्रि के समय एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;
- (ड) 'मौसमी बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ किसी विशेष मौसम के दरम्यान विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और ऐसे बाजार शहरी फुटपाथ-विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किए गए हों;
- (ढ) 'साप्ताहिक बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ सप्ताह में किसी खास दिन विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और ऐसे बाजार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किए गए हों;
- (ण) 'शहरी फुटपाथ विक्रय समिति' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा गठित निकाय;
- (त) 'फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रय के लिए फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा किए जानेवाले विशेष उपयोग के लिए ऐसा क्षेत्र या स्थान, जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अभिहित हो और ऐसी जगह या स्थान में फुटपाथ, पार्श्वपथ, खड़जा, मेड़, सड़क का कोई हिस्सा, सार्वजनिक प्रतीक्षालय या ऐसा कोई स्थान सम्मिलित है, जो फुटपाथ विक्रय और सामान्य जन को पैसे पर आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त समझा गया हो;
- (थ) 'योजना' से अभिप्रेत है धारा 22 की प्रथम अनुसूची के अधीन बनाई गई योजना;
- (द) 'योजना प्राधिकार' से अभिप्रेत है मास्टर योजना या विकास योजना या प्रक्षेत्रीय योजना या अभिन्यास योजना या किसी अन्य स्थानिक योजना में किसी विशेष क्रिया-कलाप के लिए क्षेत्रों के ठीक ठाक विस्तार को परिभाषित करते हुए भूमि उपयोग के विनियमन हेतु उत्तरदायी उपयुक्त सरकार द्वारा किसी नगर या शहर में अभिहित नगर विकास प्राधिकार या कोई अन्य प्राधिकार जो, यथास्थिति, तत्समयप्रवृत्त शहर और देहात योजना अधिनियम या नगर विकास अधिनियम या नगरपालिक अधिनियम के अधीन वैधतः लागू होने योग्य।

193
944

- (घ) 'सार्वजनिक उद्देश्य' में अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित सम्मिलित है—
- (क) मार्गों, सड़कों, गलियों को चौड़ा करना;
- (ख) मार्गों, सड़कों, गलियों के पथ-पृष्ठों का स्थान बदलना;
- (ग) भूमिगत मार्ग बनाना;
- (घ) कुछ सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक प्राधिकारों के स्वामित्व वाली भूमि का विकास;
- (ङ) जल एवं नाली की व्यवस्था करना;
- (च) सेवाओं के लिए मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन स्थापित करना;
- (छ) बिहार पथ परिवहन सेवा, मेट्रो आदि जैसे, सार्वजनिक यातायात से संबंधित कोई परियोजना;
- (ज) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासन की व्यवस्था;
- (झ) उद्यान, वाटिका और मनोरंजक क्षेत्र बनाया जाना;
- (ञ) उस क्षेत्र में पारिस्थितिक संसाधन का संरक्षण और
- (ट) स्थानीय प्राधिकार द्वारा लिया गया कोई अन्य विकास कार्य, जिसके हिताधिकारी बड़े पैमाने पर समुदाय होगा;
- (न) 'स्कीम' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 38 की द्वितीय अनुसूची के अधीन बनाया गया स्कीम;
- (प) 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
- (फ) 'धारण क्षमता' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेताओं की अधिकतम संख्या, जिसे किसी फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र में समायोजित किया जा सकता है और जिसे शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किया गया हो;
- (ब) 'शिकायत निवारण समिति' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन बिहार सरकार द्वारा गठित समिति;
2. अधिनियम में परिभाषित और इस स्कीम में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में कमशः उनके प्रति समानुद्देशित किए गए हों।

अध्याय—II सर्वेक्षण की रीति।

3. सर्वेक्षण की प्रक्रिया।—(1) नगर विक्रय समिति स्वयं या अन्य उपयुक्त एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण करायेगा।
- (2) प्रस्ताव का पर्याप्त प्रचार निम्नलिखित रीति से की जायेगी :—
- (i) अपना वेबसाईट पर,
- (ii) क्षेत्र के स्थानीय भाषा में कोई दो प्रसिद्ध स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा,
- (iii) कार्यालय के सूचनापट्ट पर लगाना, और
- (iv) स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय बाजार के किसी विशिष्ट स्थान पर एक प्रति लगाना।
- (3) पूर्व सूचना के पश्चात् फुटपाथ विक्रेता के सर्वेक्षण के लिये कैम्प का आयोजन किया जा सकता है।
4. सर्वेक्षण का प्रतिफल डिजिटल प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. सर्वेक्षण प्रतिवेदन में इस बात का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि फुटपाथ विक्रय करने का माध्यम कौन-सा है और इसको मानचित्र पर दर्शाया भी जाएगा। फुटपाथ विक्रय की रीति निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती है—
- (1) ठेलागाड़ी/मोटरवाहन;
- (2) जमीन पर रखकर—बिछाकर;
- (3) खोमचा तथा लकड़ा का इस्तेमाल कर
6. अधिनियम के उपबंधों और स्कीम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति, यथासाध्य सुनिश्चित करेगी कि कंडिका (3) के अधीन किए गए सर्वेक्षण में चिह्नित सभी विद्यमान फुटपाथ विक्रेता फुटपाथ विक्रय क्षेत्र में समायोजित हों।

अध्याय—III

पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र निर्गत करने की रीति ।

7. वह अवधि, जिसके अंतर्गत सर्वेक्षणाधीन चिह्नित फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र एवं फुटपाथ विक्रय का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा— सर्वेक्षण के दौरान चिह्नित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम समयावधि के भीतर पहचान पत्र एवं प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा।

8. शर्तें एवं निबंधन, जिसके अध्यक्षीन फुटपाथ विक्रेता को और ऐसे व्यक्तियों को भी जो दो सर्वेक्षणों के बीच में पड़ने वाले अवधि में फुटपाथ विक्रय करने की इच्छा रखते हों, को पहचान पत्र एवं प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकेगा। मानदंड जिसके तहत फुटपाथ विक्रेताओं को, पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा—

- (i) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण में नाम होगा ;
- (ii) केवल फुटपाथ विक्रय में ही लगा होगा, न कि किसी अन्य पेशे में ;
- (iii) उसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य स्थान में कोई और दूसरा फुटपाथ विक्रय का स्थल न हो, फिर भी उसके जीवन सहचर और चौदह वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे को अलग फुटपाथ विक्रय स्थल हो सकता है;
- (iv) स्वयं द्वारा या परिवार या किसी अन्य व्यक्ति (जिसकी आयु चौदह वर्ष हो चुकी हो) द्वारा फुटपाथ विक्रय किया जा सकेगा;
- (v) कोई भी फुटपाथ विक्रेता जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;
- (vi) नये फुटपाथ विक्रेता जो दो सर्वे की अवधि के बीच, फुटपाथ विक्रय करना चाहते हैं, वे नगर विक्रय समिति के सम्मुख पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकेंगे।

9. प्रपत्र और रीति, जिस प्रारूप और जिस रीति से फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र फुटपाथ विक्रेता को निर्गत किया जाएगा—

- (i) फुटपाथ विक्रेता का फोटो—
- (ii) फुटपाथ विक्रेता का नाम—
- (iii) फुटपाथ विक्रेता के साथ लगे हुए उसके आश्रित सहभागी या आश्रित बच्चे का नाम—
- (iv) व्यक्ति/ व्यक्तियों की आयु एवं लिंग, जिनके फोटो दिए गए हों—
- (v) आवास का पता—
- (vi) फुटपाथ विक्रेता की कोटि (चलंत/स्थायी/प्राकृतिक/साप्ताहिक आदि)—
- (vii) फुटपाथ विक्रय का स्थल (क्या यह ऐतिहासिक स्थान या पार्क या बाजार या विद्यालय/महाविद्यालय/ अस्पताल/ बस-पड़ाव या मॉल आदि के सामने है।)—
- (viii) नगरपालिक निकाय का नाम—
- (ix) फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की तिथि—
- (x) विधि मान्यता (चूंकि कानून प्रत्येक पाँच वर्ष पर सर्वेक्षण का उपबंध करता है, फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र भी पाँच वर्ष के लिए निर्गत होना चाहिए—
- (xi) अन्य रजिस्ट्रेशन संख्या—

10. प्रपत्र और रीति, जिस प्रारूप में तथा जिस रीति से फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान-पत्र निर्गत किया जाना है—

- (i) फुटपाथ विक्रेता का नाम—
- (ii) आयु—
- (iii) लिंग—
- (iv) आवास का पता—
- (v) फुटपाथ विक्रय-स्थल का पता—
- (vi) फोटो—
- (vii) दूरभाष संख्या—
- (viii) फुटपाथ विक्रय की कोटि—
- (ix) नगरपालिक वार्ड या प्रक्षेत्र संख्या—
- (x) थाना—
- (xi) विधिमान्यता अवधि—
- (xii) प्राधिकार का हस्ताक्षर मुहर सहित—

1911
439

11. पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता अवधि- पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण-पत्र फीस भुगतान की साधारण प्रक्रिया के तहत प्रत्येक पाँच वर्षों की अवधि के पश्चात् नवीकृत की जाएगी। फीस जमा किया जाना और रसीद निर्गत किया जाना, दोनों को, फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र के नवीकरण का पर्याप्त साक्ष्य समझा जाएगा।

अध्याय-IV

विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण, निलंबन एवं रद्दीकरण।

12. अवधि जिसके लिए और वह रीति जिस रीति से फुटपाथ विक्रय का प्रमाण-पत्र नवीकृत किया जाएगा और ऐसे नवीकरण के लिए फीस।-

- (1) फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। फीस जमा किया जाना और फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण की साधारण प्रक्रिया होगी।
नगर विक्रय समिति ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं की सूची प्रदर्शित करेगी, जिनके फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र के नवीकरण की उचित तिथियाँ दो महीनों की अवधि के भीतर हो। उक्त सूची में नवीकरण में लगनेवाली रकम और नवीकरण के स्थान या संस्था भी उपदर्शित हो, ताकि पता चले कि रकम कहाँ जमा करना है और नवीकरण की प्रक्रिया कहाँ होगी।
- (2) नगर विक्रय समिति फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र को नवीकरण फीस का भुगतान करने में चूक करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं की सूची प्रकाशित करेगी।
- (3) फुटपाथ विक्रय का नवीकरण फीस रुपये 500/- से कम नहीं होनी चाहिए।
- (4) बिना किसी अर्थ-दंड के एक महीने की अवधि की सुविधा उन्हें दी जाएगी।
- (5) पहचान पत्र या विक्रय प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, नगर विक्रय समिति फुटपाथ विक्रेता से पचास रु०/ की प्राप्ति के पश्चात्, पहचान पत्र या विक्रय प्रमाण पत्र की अनुलिपि जारी कर सकती है।

13. रीति जिस रीति से फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निलंबित या रद्द किया जा सकेगा।-शहरी फुटपाथ विक्रय समिति फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र में अधिकथित शर्तों के भंग किए जाने के दोषी पाए जाने वाले उत्पाद विक्रेता पर जुर्माना अधिरोपित करेगी और चेतावनी देगी। शर्तों के भंग में निम्नलिखित बातें होंगी:-

- (i) यदि फुटपाथ विक्रेता फुटपाथ विक्रय अनुज्ञप्ति में उल्लिखित क्षेत्र/ बाजार से इतर जगह में फुटपाथ विक्रय कर रहा हो;
- (ii) उसने फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र पाने के लिए अपनी आयु की बाबत गलत सूचना दी हो (न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए);
- (iii) यदि आवंटित क्षेत्र को बढ़ा लिया जाए या अतिरिक्त क्षेत्र को अनधिकृत रूप से कब्जा में कर लिया गया हो;
- (iv) खाद्य-सामग्रियों के फुटपाथ विक्रेताओं की स्थिति में यदि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अधीन रजिस्ट्रेशन न कराया गया हो;
- (v) यदि आवंटित स्थान पर स्थायी संरचना बना दिया गया है
- (vi) यदि फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा या पट्टे पर दिया जाए;
- (vii) यदि नवीकरण की विहित अवधि के समापन के पश्चात् फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण न किया गया हो;
- (viii) यदि किसी फुटपाथ विक्रेता ने चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को इस काम में लगा दिया हो। बाल-श्रम (प्रतिषेध एवं उपविधि विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत ऐसे फुटपाथ विक्रेता को शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा चेतावनी दी जाएगी। ऐसे फुटपाथ विक्रेता द्वारा न मानने पर उनका फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- (ix) महिला फुटपाथ विक्रेता से दुर्व्यवहार करने के दोषी फुटपाथ विक्रेता को एक चेतावनी दी जाएगी, जब व्यथित द्वारा लिखित शिकायत की गई हो।
- (x) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को कार्य-स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता के अधीन महिला पदधारी की अध्यक्षता वाली एक समिति गठित करनी चाहिए।

अध्याय-V

फुटपाथ विक्रेता की कोटि एवं फीस।

14. फुटपाथ विक्रेताओं की कोटियाँ। - फुटपाथ विक्रेताओं को भी निम्न रूपेण कोटिगत किया जा सकता है:-

- (i) स्थायी ;
- (ii) चलंत ;
- (iii) कोई अन्य, जिसे राज्य सरकार किसी नाम से उपबंधित करे।

15. पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण - पत्र निर्गत करने हेतु अधिमानता पर आधारित व्यक्तियों की कोटियाँ। - नगर विक्रय समिति वरीय नागरिक, दिव्यांग, एकाकी माँ और विधवाओं के लिए प्राथमिकता तय करेगी।

16. फुटपाथ विक्रय की कोटि पर आधारित विभिन्न नगरों के लिए अलग-अलग भुगतान की जाने वाली फुटपाथ विक्रय फीस। - फुटपाथ विक्रय फीस फुटपाथ विक्रेताओं की कोटि और बाजार की स्थिति को देखते हुए तय होगी।

(व्याख्या - संभावित आय हर क्षेत्र में अलग-अलग होता है, जहाँ लोग ज्यादा एकत्रित होते हैं, वहाँ फुटपाथ विक्रय अधिक होने की संभावना होती है, सिवाय उसके जहाँ लोग कम संख्या में एकत्रित होते हैं। इसलिए फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों की विभिन्न कोटियों के लिए विभिन्न दरों पर फीस नियत करना उचित होगा। विभिन्न कोटियों के नगरों और शहरों के लिए भी अलग-अलग दरें तय की जाएगी।)

शहरी फुटपाथ विक्रय समिति क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों के इकट्ठा होने के मद्देनजर फुटपाथ विक्रय से आमद का आकलन करते हुए फीस/उद्ग्रहण तय करेगी, लेकिन यह फीस प्रतिमाह न्यूनतम रुपये 150/- और अधिकतम रुपये 1500/- होगी। प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 10% की वृद्धि फीस में होगी। स्थानीय प्राधिकार फुटपाथ विक्रय फीस वार्षिक रूप से संग्रह कर सकता है, यदि यह उपयुक्त समझा जाए।

17. बैंकों, स्थानीय प्राधिकार के कारुंटरोँ और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के कारुंटरोँ के माध्यम से फुटपाथ विक्रय शुल्क संग्रहण, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रभार और अर्थ-दंड के संधारण, चलंत स्टॉलों के लिए वाहन पड़ाव स्थल के उपयोग और नागरिक सेवाओं की उपलब्धता की बाबत रीति।-प्रत्येक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को एक बैंक खाता होगा और फुटपाथ विक्रेता विहित प्रपत्र में ब्यौरा के साथ उस लेखा में प्रतिमाह या प्रतिवर्ष रकम जमा करेंगे। लेखा की वार्षिक संपरीक्षा शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा पूरी की जाएगी। संबंधित स्थानीय प्राधिकार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के लिए संग्रहण हेतु अपनी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र है।

अध्याय-VI

फुटपाथ विक्रेता के विस्थापन एवं पुनर्स्थापन।

18. सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए किसी फुटपाथ विक्रेता को विक्रय का पुनर्स्थापन नियत किया जा सकेगा और पुनर्स्थापन नियत करने की रीति।-

(1) सार्वजनिक प्रयोजन की कोई परियोजना जो परियोजना संबंधित क्षेत्र में फुटपाथ विक्रेताओं के स्थायी या अस्थायी रूप से जगह बदले जाने की अपेक्षा करती हो, वहाँ संबंधित प्राधिकार पुनर्स्थापन अकारण के लिए निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर विचार करेंगे :-

- (i) निर्माण/विकास की समयावधि में फुटपाथ विक्रेताओं को नजदीकी स्थान पर स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से समायोजित किया जा सकेगा।
- (ii) परियोजना के पूरा होने के पश्चात् उस सार्वजनिक प्रयोजन के क्षेत्र में फुटपाथ विक्रेताओं को उसी स्थान पर संभव होने की हद तक समायोजित किया जा सकेगा। लेकिन न तो यह अनिवार्य है और न तो अधिदेशात्मक।

(2) किसी सार्वजनिक प्रयोजन के अधीन फुटपाथ विक्रेताओं का पुनर्वास निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने की अपेक्षा करेगा -

- (क) जहाँ से फुटपाथ विक्रेताओं का स्थान बदला जाना है, उस क्षेत्र में व्यक्तियों के जमावड़ा की स्थिति का आकलन,
- (ख) ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं की कुल संख्या, जिनका स्थान बदला जाना हो,
- (ग) वैकल्पिक स्थलों पर जमावड़ा की स्थिति,
- (घ) वैकल्पिक स्थलों पर धारण क्षमता,
- (ङ) परियोजना की समाप्ति के पश्चात् फुटपाथ विक्रय स्थल की संभावित उपलब्धता,
- (च) फुटपाथ विक्रेताओं के जगह बदले जाने की बाबत नए स्थलों या स्थायी आवंटन खेपों में किया जा सकेगा,

- (छ) उस स्थिति में जब मूल स्थल के फुटपाथ विक्रेताओं की संख्या उस संख्या से अधिक हो, जिसे परियोजना की समाप्ति के पश्चात् समायोजित किया जा सकेगा, खेप द्वारा आवंटन अपनाई जा सकती है,
- (ज) सरकारी जमीन पर व्यवसाय करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं को या तो सार्वजनिक प्राधिकार के स्वामित्व वाले भूखंड में रखा जा सकता है, या फिर सड़क पर स्थान की उपलब्धता को देखते हुए उन्हें वहाँ विक्रय करने दिया जा सकता है,

19. फुटपाथ विक्रेता को बेदखल करने की रीति। - (1) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को अपनी कार्यसूची प्रस्तुत करनी चाहिए और बेदखली के एक माह की नोटिस के निर्गत के पूर्व दो महीने पहले फुटपाथ विक्रेताओं की बेदखली के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि फुटपाथ विक्रेताओं के लिए उसी तरह के फुटपाथ विक्रय स्थल को चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण कराया जा सके।

- (2) बेदखली की प्रक्रिया के पूर्व एक महीने के लिखित नोटिस फुटपाथ विक्रेता के नाम से रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील कराया जाना चाहिए। इसे हाथों - हाथ भी तामील कराया जा सकता है।
- (3) उस स्थिति में, जब रजिस्ट्रीकृत डाक अवितरित हुए लौट जाए, तो उक्त नोटिस को उस क्षेत्र में धिपका देना चाहिए, जहाँ पर वह फुटपाथ विक्रय कर रहा है और इसको भी नोटिस का तामील किया जाना समझा जाए।

20. फुटपाथ विक्रेता को बेदखली का नोटिस देने की रीति। - नोटिस देने की रीति निम्नलिखित होगी:-

- (1) अधिनियम की धारा 18 के अधीन बेदखली के एक माह पूर्व नोटिस।
- (2) बेदखली का नोटिस फुटपाथ विक्रेता के नाम से होना चाहिए, जिसे रजिस्ट्रीकृत डाक या हाथों-हाथ नोटिस तामील कराते हुए उसके फुटपाथ विक्रय वाली जगह से बेदखल किया जाना है।

21. बेदखल में चूक करने पर भौतिक रूप से फुटपाथ विक्रेता को बेदखल की रीति:-

- (1) अधिनियम की धारा 18 के अधीन ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो बेदखली नोटिस अवधि के समापन के बाद जगह नहीं छोड़ते हैं, को उस जगह पर बने रहने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।
- (2) फुटपाथ विक्रेता द्वारा भुगतये व्यतिक्रम रकम या अर्थ-दंड केवल रु० 250/- तक ही हो सकता है। फिर भी, अर्थ - दंड की रकम जब्त मालों के मूल्य से अधिक नहीं होगी।

अध्याय-VII

वस्तुओं की जब्ती।

22. स्थानीय प्राधिकार द्वारा मालों की जब्ती, जहाँ वस्तुओं की सूची बनाये जाने और उसे निर्गत करने की रीति। - अधिनियम की धारा 19 के अधीन वस्तुओं की जब्ती की बाबत निम्नलिखित कदम उठाया जा सकेगा:-

- (i) स्थानीय प्राधिकार के केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही वस्तुओं की जब्ती करेंगे;
- (ii) जब्त वस्तुओं की सूची संबद्ध प्राधिकार द्वारा बनाई जाएगी और उसे संबद्ध प्राधिकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्तक्षरित किया जाएगा;
- (iii) ऐसे फुटपाथ विक्रेता को जिनके सामानों की जब्ती की गई हो प्राधिकार द्वारा सही रसीद दिया जाएगा।

23. फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा अपने जब्त किए गए मालों की पुनर्प्राप्ति की रीति और इसके लिए फीस। - (1) धारा 19 (2) के अधीन स्थानीय प्राधिकार शीघ्र नष्ट होने वाले जब्त मालों को ऐसी जब्ती के ही दिन विमुक्त कर सकेगा और शीघ्र नष्ट न होने वाले मालों को दो कार्यदिवसों के भीतर विमुक्त कर सकेगा।

- (2) मालों की पुनर्प्राप्ति हेतु फुटपाथ विक्रेता द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस उस विक्रेता के कुल जब्त मालों के मूल्य से अधिक नहीं हो सकेगी।
- (3) बिना प्रमाण - पत्र के फुटपाथ विक्रय करने की स्थिति में, ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं के जब्त मालों की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रमाण रु० 500/- से अधिक नहीं हो सकेगी।
- (4) शीघ्र नष्ट होने वाले मालों की स्थिति में फुटपाथ विक्रेता से आवश्यक अर्थ - दंड का भुगतान लेकर उन्हें अपने मालों को तुरंत या फिर अगले चौबीस घंटों में कार्यावधि के भीतर वापस लेने का विकल्प दिया जा सकेगा।

अध्याय-VIII

सामाजिक अंकेक्षण।

24. प्रपत्र एवं रीति, जिसके तहत शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की सामाजिक संपरीक्षा कार्यान्वित करने प्रारूप और रीति और अभिलेखों का संघारण।- प्रत्येक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति धारा 26 (3) के अधीन सामाजिक संपरीक्षा करवाने के प्रयोजनार्थ त्रिसदस्यीय यूनिट गठित करेगी। सामाजिक संपरीक्षा यूनिट एक स्वतंत्र निकाय होगा।

- (1) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-
 - (क) प्रख्यात शिक्षाविद्, जो समाजशास्त्र के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हों;
 - (ख) प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता;
 - (ग) सेवानिवृत्त प्रशासक;
 स्थानीय प्राधिकार द्वारा सहाय्य पर्याप्त अनुसचिवीय स्टाफ, कार्यालय का स्थान और उपस्कर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (2) सामाजिक संपरीक्षा तीन वर्षों में कम-से-कम एक बार की जाएगी। उपयुक्त समय पर सामाजिक संपरीक्षा किए जाने की अनुसूची विनिश्चित की जाएगी।
- (3) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति, सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के आरंभ होने के कम-से-कम एक पखवाड़ा पूर्व सभी सुसंगत सूचनाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराएगी, जिसमें निम्नलिखित बातों का समावेश होगा:-
 - (क) अधिनियम के कार्यान्वयन और फुटपाथ विक्रेताओं के स्कीम की स्थिति;
 - (ख) उन वर्षों में हुए शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख;
 - (ग) सभी रजिस्ट्रीकृत फुटपाथ विक्रेताओं का अभिलेख;
 - (घ) अधिनियम की धारा 11 के अधीन स्थानीय प्राधिकार के समक्ष किए गए अपीलों का अभिलेख;
 - (ङ) अधिनियम की धारा 20 के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष लाए गए सभी परिवादों/विवादों का अभिलेख;
 - (च) उन वर्षों में हुए फुटपाथ विक्रेताओं की बेदखली और मालों की जब्ती और पुनर्स्थान निर्धारण की बाबत ब्यौरों और उनकी कुल संख्या का अभिलेख;
 - (छ) सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदनों का अभिलेख, यदि पहले हुआ हो।
- (4) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट अधिनियम और स्कीम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर फुटपाथ विक्रेताओं के साथ बैठकें आयोजित करेगा, जो सामूहिक विचार - विमर्श पर केंद्रित होगा।
- (5) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा सामना किए गए किसी मुद्दे की बाबत लिखित परिवाद अभिलिखित करेगा।
- (6) सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के चरम बिंदु पर, यूनिट लिखित रूप में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।
- (7) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति कार्यालय में सामाजिक संपरीक्षा सार्वजनिक बैठक आयोजित करेगा। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के सदस्य और स्थानीय प्राधिकार के प्रतिनिधियुक्त बैठक में भाग लेंगे। क्षेत्र विशेष के फुटपाथ विक्रेता और सार्वजनिक रूप से अन्य व्यक्ति बैठक में भाग ले सकेंगे। सामाजिक संपरीक्षा यूनिट बैठक में अपने निष्कर्षों को पढ़कर सुनाएगा। फुटपाथ विक्रेताओं को इसे प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति भी प्रभावित पक्षकार और जनता को स्पष्टीकरण और/या व्याख्या करते हुए सामाजिक संपरीक्षा में चिह्नित प्रत्येक मुद्दों की बाबत अनुक्रिया करेगा कि क्यों अपरिहार्य कार्रवाई की गई या न की गई।
- (8) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट, सर्वसाधारण सूचना द्वारा, सामाजिक संपरीक्षा सार्वजनिक बैठक की समुचित सूचना देगा।
- (9) स्थानीय प्राधिकार अंतरालों, व्यपगतों या विचलनों की स्थिति में सामाजिक संपरीक्षा में प्रत्येक निष्कर्ष पर उत्तरदायित्व नियत करेगा और तुरंत सुधारात्मक या अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। विवाद की स्थिति में स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक जाँच की जाएगी और कम-से-कम समय में, जो किसी भी स्थिति में एक माह के बाद न हो, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (10) सामाजिक संपरीक्षा करने की कानूनी अपेक्षा लेखा के सामान्य संपरीक्षा करने के किसी स्वतंत्र पहल को प्रतिबाधित न करेगा
- (11) इस प्रक्रिया में समर्पित सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन अभिलेख का भाग बनेगा और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा उस दिशा में कार्य किया जाएगा। जहाँ भी जो कसर पाई जाए, नियमावली के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन और कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अभिलेख का भाग बनेगा और जनसाधारण सूचनार्थ होगा।

- (12) सामाजिक संपरीक्षा करने का बजट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के लिए अनुमत प्रशासनिक लागत में से आवंटित किया जाएगा।

अध्याय-IX
प्रकीर्ण।

25. शर्तें, जिनके अधीन निजी स्थानों को प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र, प्रतिबंधित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र और गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।— जहाँ स्थानीय प्राधिकार विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में कोई निजी भूमि की घोषणा का निर्णय लेता हो, यह उस क्षेत्र में अतिरिक्त तल जमीन तालिका या तल क्षेत्रीय अनुपात के रूप में क्षति-पूर्ति संभावनाओं पर विचार करेगा या स्थानीय प्राधिकार के सामान्य विकास नियंत्रण विनियमन की दशा में उसका प्रावधान रखेगा। फुटपाथ विक्रेता को मात्र नीचले तल पर समायोजित किया जाना है।

26. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए अनुपालन किए जाने वाले मानकों सहित फुटपाथ विक्रेताओं के लिए शर्तें एवं निबंधन।— (1) संबंधित क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकार को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए इन फुटपाथ विक्रेताओं को एक उचित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपने अपशिष्ट पदार्थों का वहाँ निपटान कर सकें।

- (2) फुटपाथ विक्रेताओं को अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु समुचित ढक्कन वाले कूड़ेदानों का इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल किए गए जल को भी ढक्कन वाले किसी बर्तन में निपटान किया जाएगा।
- (3) स्थानीय प्राधिकार को, जहाँ कहीं संभव हो, फुटपाथ विक्रेताओं को स्वच्छ और ताजा जल तथा सड़क प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित और उपलब्ध करना होगा।
- (4) फुटपाथ विक्रय के खाली स्थानों के नजदीक सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से जल एवं प्रकाश व्यवस्था सहित साफ और समुचित रूप से निर्मित शौचालयों का उपबंध करने के लिए प्रयास किया जाएगा।
- (5) प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता को सेवा अभिलेख - पुस्त रखना होगा और केवल शहरी फुटपाथ विक्रय समिति उसका मूल्यांकन कर सकता है/कर सकेगा। उक्त मूल्यांकन पर आधारित शहरी फुटपाथ विक्रय समिति फुटपाथ विक्रेता को पुरस्कार अधिनिर्णीत कर सकेगा, या फिर उस पर जुर्माना लगा सकेगा।

27. राज्य स्तर पर फुटपाथ विक्रय से संबंधित सभी मामलों के समन्वयन के लिए राज्य नोडल पदाधिकारी का पदनाम।— (1) अभिहित नोडल पदाधिकारी संयुक्त सचिव के अन्यून स्तर का न होना चाहिए।

- (2) नोडल पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्र - स्तरीय मुद्दों से स्वयं को भली - भाँति अवगत कराने के लिए स्थानीय प्राधिकारों के साथ कम-से-कम अर्द्धवार्षिक बैठक करेंगे।
- (3) नोडल पदाधिकारी फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा सामना किए गए समस्याओं की बाबत उनसे प्रतिपुष्टि - प्रपत्र ले सकेंगे।

28. फुटपाथ विक्रेताओं की बाबत शहरी फुटपाथ विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकार, योजना प्राधिकार और राज्य नोडल पदाधिकारी द्वारा समुचित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के संधारण की रीति।— (1) फुटपाथ विक्रेताओं के अभिलेखों को रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।

- (2) स्थानीय प्राधिकार को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सर्वशिक्षित फुटपाथ विक्रेताओं के डाटा की प्रविष्टि करनी होगी।
- (3) फुटपाथ विक्रय का प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र ऑनलाईन निकाला जाएगा।

29. समय मुताबिक फुटपाथ विक्रय क्रिया-कलाप करने की रीति।— (1) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति बाजार की आवश्यकताओं पर आधारित इसे अवधारित करेगा।

- (2) महिला फुटपाथ विक्रेताओं के साथ समय मुताबिक विक्रय क्रिया कलाप के मदेनजर भेद-भाव नहीं किया जाएगा।

30. प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र, प्रतिबंधित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र और गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र को अवधारित करने के सिद्धांत।—

- (1) लोगों की आवाजाही की तीव्रता, सड़क की चौड़ाई और वाहन-सवारों तथा पैदल यात्रियों की अधिकता को देखते हुए ही फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र और गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र विनिश्चित किया जाएगा। नगर में प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र न होंगे और गैर फुटपाथ प्रक्षेत्र काफ़ी न्यूनतम होना चाहिए। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति अघोविनिर्दिष्ट तरीके से किसी विशेष सड़क या बाजार को फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र या गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में विनिश्चित करेगी और तदनुसार जगह आवंटित की जाएगी।

(2) नगर में सभी प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र नहीं होंगे। उस क्षेत्र की निर्वाह- क्षमता ही फुटपाथ विक्रेताओं की संख्या की अंतिम सीमा अवधारित करेगा, जिन्हें किसी क्षेत्र में अवस्थित किया जा सकता है। फिर भी, इस क्षेत्र में चलंत फुटपाथ विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यदि फुटपाथ विक्रेता, यातायात और अन्यत्रवासी को बिना बाधा पहुँचाए हुए लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हों। ऐसी स्थितियों में भी शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को खास आवाजाही वाले क्षेत्र और उस क्षेत्र की एक तिहाई धारण-क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसे चलंत फुटपाथ विक्रेताओं को स्थान सुविधा दिए जाने के लिए उनकी कुल संख्या पर विनिश्चय करना है, अन्यथा इस बात की पूरी संभावना बनी रहेगी कि चलंत फुटपाथ विक्रेता अपनी दुकानदारी के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने के कारण वाहन मार्ग में बहुधा आकर यातायात संचालन में व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे।

(3) प्रतिबंधित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र निम्नलिखित रीति से सड़क की चौड़ाई से जोड़े जाएंगे:-

- (क) 3.5 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर कोई भी स्थायी फुटपाथ विक्रय नहीं होगा।
 (ख) 3.5 मीटर से 6.0 मीटर के बीच की चौड़ी सड़क पर कोई भी स्थायी फुटपाथ विक्रय नहीं होगा। फिर भी, फुटपाथ विक्रय उस स्थिति में अनुमत होगी, जब ऐसे सड़क को गैर वाहन परिचालन सड़क के रूप में घोषित किया जाए। ऐसी परिस्थिति में फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र 2.0 मीटर तक सीमित होगा।
 (ग) छ: मीटर से नौ मीटर के बीच की चौड़ी सड़क पर कोई भी स्थावर फुटपाथ विक्रय नहीं होगा। फिर भी, फुटपाथ विक्रय उस स्थिति में अनुमत होगी, जब ऐसे सड़क को गैर वाहन परिचालन सड़क के रूप में घोषित किया जाए।
 (घ) 12 मीटर से 24 मीटर के बीच की चौड़ी सड़क पर केवल एक तरफ स्थावर फुटपाथ विक्रय होगा, जबकि 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर दोनों तरफ स्थावर फुटपाथ विक्रय होगा।
 (ङ) ऐसी सड़क के प्रत्येक अभिहित फुटपाथ विक्रय क्षेत्र की धारण शक्ति पर विचार करते हुए फुटपाथ विक्रेताओं की संख्या विनिश्चित की जाएगी।
 (च) व्यवधानरहित वाहन परिचालन और पैदल यात्री आवागमन के मद्देनजर यातायात पुलिस से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के बाद ही ऐसे स्थावर फुटपाथ विक्रय की अनुमति दी जाएगी। यदि अपेक्षित हो, तो सड़क के किनारे वाहन पड़ाव को ऐसे क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाएगा, जहाँ फुटपाथ विक्रय अनुमत हो।
 (छ) यातायात संचालन और पैदल यात्री आवागमन को देखते हुए चलंत फुटपाथ विक्रय अनुमत किया जाएगा।
 (ज) स्कीम के लिये एक परामर्शी सड़क रूपरेखा अनुसूची के रूप में संलग्न है।

(4) गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र निम्नलिखित होंगे:- सचिवालय, जिला सभाहरणालय, जिला पंचायत के कार्यालय, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, न्यायालय, छावनी बोर्ड और राज्य पुरातत्वीय स्मारकों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों के निकट एवं दो या दो से अधिक सड़कों के पारगामी किसी भी तरफ एवं रेल समपार के दोनों तरफ तथा स्थानीय प्राधिकार द्वारा घोषित किसी ऐतिहासिक धरोहरों एवं फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के बीच की दूरी तय करने का निर्णय शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के संदर्भ में स्वविवेक से लिया जा सकेगा।

31. फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों की धारण क्षमता को अवधारित करने के सिद्धांत और व्यापक जनगणना एवं सर्वेक्षण की जिम्मेवारी लेने की रीति:-

- (1) अधिनियम की धारा (3) के अधीन वार्ड/प्रक्षेत्र के फुटपाथ विक्रेताओं की 2.5% जनसंख्या को धारण - क्षमता के अनुसार सम्मोजित किया जाएगा।
 (2) किसी फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र की धारण - क्षमता उस फुटपाथ विक्रय क्षेत्र के कुल क्षेत्र द्वारा विभाजित फुटपाथ विक्रय स्थल के अनुसार होगा। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा व्यक्तिगत फुटपाथ विक्रेताओं को आवंटित किए जानेवाले क्षेत्र के लिए मानदंड निम्नवत रखे जाएंगे-
 (i) 1.6 मीटर X 1.2 मीटर लंबाई-चौड़ाई के अधिकतम 2 वर्गमीटर क्षेत्र को फुटपाथ विक्रय क्षेत्र के रूप में प्रत्येक फेरीवाला/फुटपाथ पर बेचने वाले को उपलब्ध कराया जाएगा।
 (ii) स्टालों/टेला गाड़ियों के सामने 1.0 मीटर चौड़ाई का रास्ता विस्तार के रूप में सुरक्षित रहेगा, ताकि ग्राहक/उपभोक्ता वहाँ खड़े रह सकें या माल खरीद सकें।
 (iii) सड़क की चौड़ाई को देखते हुए ऐसे विस्तारित जगह के सामने 1.0/2.0 मीटर का पद-विचरण स्थल/फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
 (iv) किसी भी स्थिति में फुटपाथ विक्रय के लिए गाड़ी-वाहन का उपयोग किए जाने की अनुमति न दी जाएगी।

- (v) यदि ऐसा लगे कि सड़क की चौड़ाई काम भर है, तो सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ विक्रय की अनुमति दी जा सकेगी।
- (vi) सड़क के किसी जंक्शन/निकास/प्रवेश या रेल समपार से 50 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के फुटपाथ विक्रय क्रियाकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. पुनर्स्थापन निर्धारण के मानदंड :-

- (1) जहाँ तक संभव हो, पुनर्स्थापन निर्धारण से बचा जाना चाहिए, जब तक कि, प्रश्नगत भूमि के लिए स्पष्ट एवं त्वरित आवश्यकता न हो।
- (2) प्रभावित फुटपाथ विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को पुनर्स्थापन परियोजना के योजनाकरण एवं कार्यान्वयन में लगाया जाएगा।
- (3) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति बाजारों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करेगी।
- (4) पुनर्वास परियोजना के कार्यान्वयनाधीन पुनर्स्थापन निर्धारण के लिए पारस्परिक सहमति के स्थान पर विचार किया जाएगा।
- (5) प्रभावित फुटपाथ विक्रेताओं का पुनर्स्थापन निर्धारण किया जाएगा, ताकि उनकी जीविका और जीवन-स्तर में सुधार हो या कम-से-कम उन्हें पुनर्प्राप्त कर लें, उस वास्तविक अर्थ में जो बेदखली से पूर्व की स्थिति थी।
- (6) नवीन आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं द्वारा सृजित जीविका के अवसरों से विस्थापित फुटपाथ विक्रेताओं को समायोजित करने का प्रयत्न किया जाएगा, ताकि वे नवीन आधारभूत संरचना द्वारा सृजित जीविका के अवसरों से लाभ उठा सकें।
- (7) परिसंपत्तियों की क्षति से बचा जाएगा।
- (8) हक का अंतरण या भूमि का अन्य हित ऐसी भूमि पर और ऐसे पुनर्स्थान निर्धारण पर फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे भूमि-अंतरण के परिणामस्वरूप कोई भी पुनर्स्थान निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (9) प्राकृतिक बाजार, जहाँ पचास वर्षों से अधिक फुटपाथ विक्रेताओं ने कारबार किया हो, को विरासती बाजार के रूप में घोषित किया जाएगा और ऐसे बाजारों में फुटपाथ विक्रेताओं का पुनर्स्थान निर्धारण नहीं किया जाएगा।
- (10) नगरपालिका निकाय ऐसे बाजारों की सूची तैयार करेगा और उन्हें विरासती बाजार के रूप में घोषित करेगा। नगरपालिका निकाय पर्यटन विभाग के सहयोग से ऐसे बाजार में ऐसे तत्वों को आत्मसात करते हुए पर्यटक बाजारों के रूप में ऐसे बाजारों को संवर्द्धित करेगा, जिससे ऐसे बाजार में स्थानीय रंगत अपनी विशिष्टियों के साथ झलकता रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची
फुटपाथ विक्रय जगह सहित मार्ग रूपांकन

क्र० सं०	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	फुटपाथ	फुटपाथ विक्रय जगह	सेवा मार्ग	साईकिल का रास्ता	वाहन का रास्ता	हाता केन्द्रीय (अ) वाहन का रास्ता	साईकिल का रास्ता	सेवा मार्ग	फुटपाथ विक्रय जगह	फुटपाथ	फुटपाथ विक्रय की स्थिति	संप्रतिबंध अनुमति
1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	अनानुमत	
		0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	अनुमत	गैर-वाहन परिचालन क्षेत्र
2	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	अनानुमत	
		0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	अनुमत	गैर-वाहन परिचालन क्षेत्र
3	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	अनानुमत	
		1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	अनुमत	सड़क के एक तरफ

क्र० सं०	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	फुटपाथ	फुटपाथ विक्रय जगह	सेवा मार्ग	साईकिल का रास्ता	वाहन का रास्ता	केन्द्रीय (अ) हाता	वाहन का रास्ता	साईकिल का रास्ता	सेवा मार्ग	फुटपाथ विक्रय जगह	फुटपाथ	फुटपाथ विक्रय की स्थिति	संप्रतिबंध अनुमति
4	12.0	1.0	3.0	0.0	6.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	1.0	अनुमत	एक तरफ
5	15.0	1.0	3.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	अनुमत	एक तरफ
6	10.0	1.0	3.0	0.0	0.0	6.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.0	अनुमत	एक तरफ
7	24.0	1.5	3.0	0.0	0.0	8.5	1.0	8.5	0.0	0.0	0.0	1.5	अनुमत	एक तरफ
8	30.0	1.5	3.0	0.0	1.0	9.0	1.0	9.0	10	0.0	3.0	1.5	अनुमत	दोनों तरफ
9	36.0	2.0	3.0	0.0	1.5	11.0	1.0	11.0	1.5	0.0	3.0	2.0	अनुमत	दोनों तरफ
10	40.0	2.0	3.0	0.0	1.5	13.0	1.0	13.0	1.5	0.0	3.0	2.0	अनुमत	दोनों तरफ
11	60.0	3.0	4.0	5.0	2.0	15.0	2.0	15.0	2.0	5.0	4.0	3.0	अनुमत	दोनों तरफ

नोट: -

- ये परिगणनाएँ वाहन परिचालन यातायात की क्षमता धारण के लिए यातायात अनुभाग के अनुमोदन के अधीन है।
- दो भागों से होने वाले यातायात के लिए न्यूनतम 7 मीटर जगह अपेक्षित है।
- फुटपाथ विक्रय के लिए उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्र - 3 मीटर
- पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए न्यूनतम जगह की आवश्यकता - 1 मीटर

15 फरवरी 2017

सं० 04/SV(NULM)-04/2015-416/ नवि०एवंआ०वि० सं० 04/SV(NULM)-04/2015-415/नवि०एवं आ०वि०, दिनांक 15 फरवरी 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चैतन्य प्रसाद,
प्रधान सचिव।

The 15th February 2017

Bihar Street Vendors (Protection of livelihood and regulation of Street Vending) Schemes'2017
No. 04/SV(NULM)-04/2015-415/UD&HD—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014), the State Government after consultation with the Urban Local Bodies and Town Vending Committees do hereby make the following Scheme for the purpose of the said Act, namely :-

CHAPTER-I PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**— (1) This Scheme may be called **The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme-2017.**

(2) It shall come into force on such date, as State Government may, by notification, fixed and different dates may be fixed different Municipalities.

2. **Definitions.** - (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Street Vendors(Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014(Central Act 7 of 2014);

(b) "appropriate Government" means the Government of Bihar;

- (c) "local authority" means a Municipal Corporation or a Municipal Council or a Nagar Panchayat, by whatever name called, [or the Cantonment Board, or as the case may be, a civil area committee appointed under section 47 of the Cantonment Act, 2006 [or such other body entitled to function as a local authority in any city or town to provide civic services and regulate street vending in that city or town;
- (d) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the term "notify" shall be constructed accordingly;
- (e) "street vendor" means a person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in street, lane, side walk, footpath, pavement, public park, or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous term which may be local or region specific; and the words "street vending" with their grammatical variations and cognate expressions, shall be constructed accordingly;
- (f) "stationary vendors" means street vendors who carry out vending Activities on regular basis at a specific location;
- (g) "mobile vendors" means street vendors who carry out vending Activities in designated area by moving from one place to another place vending their goods and services;
- (h) "festive market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services during festival season of the city or town and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (i) "heritage market" means a market which has completed more than fifty years in one place where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (j) "natural Market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (k) "niche market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of niche products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (l) "night bazaar" means a bazaar where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services after evening i.e. during night and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (m) "seasonal market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services during specific seasons and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;

- (n) **"weekly market"** means a market where sellers and buyers have weekly congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (o) **"Town Vending Committee"** means the body constituted by the appropriate Government under Section 22 of the Act;
- (p) **"vending zone"** means an area or a place or a location designated as such by the local authority, on the recommendations of the Town Vending Committee, for the specific use by street vendors for the street vending and includes footpath, side walk, pavement, embankment, portions of a street, waiting area for public or any such place considered suitable for vending Activities and providing services to the general public.
- (q) **"Plan"** means the Plan made under First Schedule of Section 22 of the Act;
- (r) **"planning authority"** means an Urban Development Authority or any other authority in any city or town designated by the appropriate Government as responsible for regulating the land use by defining the precise extent of areas for any particular Activity in the master plan or development plan or zonal plan or layout plan or any other spatial plan under the Town and Country Planning Act or the Urban Development Act or the Municipal Act, which is legally enforceable for the time being as the case may be;
- (s) **"public purpose"** includes in the context of the Act (i) widening of roads, streets, lanes; (ii) shifting the alignment of roads, streets, lanes; (iii) erecting flyovers with or without clover leaves and slip down roads; (iv) erecting underpasses; (v) development of land owned by public authorities for some public projects; (vi) laying of water, or sewer pipe lines; (vii) erecting intermediate pumping stations for the services; (viii) any project related with public transport like BRTS, Metro, etc.; (ix) erection of Economically Weaker Section (EWS) Housing; (x) Creation Parks, Gardens and Recreational Area; (xi) Conservation of any eco system resource in that area and (xii) Any other development work taken by the local authority, the beneficiary of which will be the community at large.
- (t) **"Scheme"** means the Scheme made under Second Schedule of section 38 of the Act;
- (u) **"Section"** means section of the Act;
- (v) **"holding capacity"** means the maximum number of street vendors who can be accommodated in any vending zone and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (w) **"Grievance Redressal Committee"** means a committee constituted by the Government of Bihar under sub-section (1) of section 20 of the Act;
- (2) Words and expressions defined in the Act and used but not defined in this scheme shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER -II
MANNER OF CONDUCTING SURVEY

3. **Process of Survey.**—(1) The Town Vending Committee shall conduct the survey itself or go it done by any suitable agency.

(2) Adequate publicity of the proposal shall be given in the following manner:-

- (i) On its websites
- (ii) by publishing in any two prominent local newspapers published in the local language of the area
- (iii) by placing it on the notice board of the office, and
- (iv) by placing a copy in any conspicuous place in the local market within the jurisdiction of the local authority

(3) Camps may be organized for the survey of street vendors after prior information

4. The survey outcome shall be available in the digital format

5. In the survey report the street vending activity carried on from the carriage way shall be specifically mentioned and marked on the map. Similarly, mode of vending shall also be clearly indicated. Manner of vending may be any of the following:-

- (1) Push cart/ motorized vehicle
- (2) Floor spread
- (3) Rack and hanging frame mode

6. Subject to the provisions of the Act and the provisions contained in the Scheme, the Town Vending Committee shall, as far as practicable, ensure that all existing Street Vendors identified in the survey conducted under section-3 are accommodated in the vending zone.

CHAPTER-III
ISSUE OF IDENTITY CARD AND CERTIFICATE OF VENDING

7. **The period within which Identity Card and certificate of vending shall be issued to the street vendors identified under survey.**— The street vendor identified by the survey shall be issued Identity card and certificate of vending within a maximum period of six [6] months' time from the date of survey.

8. **The terms and conditions subject to which Identity card and certificate of vending may be issued to a street vendor including to those persons who wish to engage on street vending during the intervening period of two surveys.**—The criterion under which Identity Card and certificate of vending to street vendors will be issued:-

- (i) Name shall include in the survey carried out by the TVC.
- (ii) shall be street vendor only and will not be engaged in any other occupation.
- (iii) No other parallel vending site in any other place by the same persons. However his/her spouse and any child above 14 years of age can have a different vending site.
- (iv) shall engage the vending by him or her though family or other people (if he/she has completed 14 years) can be involved.
- (v) Any street vendor who has completed the age of 14 years of age.
- (vi) New Street vendor who wish to carry on street vending during the intervening period of two surveys, has to apply through Town Vending Committee for the Identity card and vending certificate.

9. *The form and manner in which the certificate of vending shall be issued to a street vendor;*

- (i) Photo of the vendor-
- (ii) Name of the vendor-
- (iii) Name of the spouse or dependent child if involved in vending with the vendor-
- (iv) Age and Sex of the person/s whose photo appears-
- (v) Address of residence-
- (vi) Category of Vending (Mobile/Stationary/Natural/Weekly etc.)-
- (vii) Name of Vending Place (whether it is historical place, park, market, in front of school/college/hospital/bus stand or malls etc.)-
- (viii) Name of the Municipal body-
- (ix) Date of Issuing Vending Certificate-
- (x) Validity (Since the law provides for survey every five year, the certificate of vending should also be issued for five year)-
- (xi) Unique Registration Number-

10. *The form and manner of issuing identity cards to street vendors;*

- (i) Name of the vendor-
- (ii) Age-
- (iii) Sex-
- (iv) Address of residence-
- (v) Address of the vending site-
- (vi) Photo-
- (vii) Phone Number-
- (viii) Category of vending-
- (ix) Municipal ward or zone number-
- (x) Police station-
- (xi) Validity period-
- (xii) Signature of the authority with seal-

11. *The period of validity of Identity card and certificate of vending.*— The Identity card and vending certificate shall be renewed after every five [5] years through a simple process of paying the fees. The deposit of fees and issue of receipt shall be considered to be adequate proof of the renewal of vending certificate.

CHAPTER -IV RENEWAL, SUSPENSION AND CANCELLATION OF CERTIFICATE OF VENDING

12. *The period for which and the manner in which a certificate of vending may be renewed and the fees for such renewal.* -

- (1) The vending certificate may be renewed after every five [5] years .It shall be a simple process of submitting the fees and renewing the vending certificate. The Town Vending Committee will put up the list of the vendors whose due dates for renewal falls within a period of two months. In the said paper the amount as well as the places or institution where it can be paid can be indicated.
- (2) TVC will publish a list of defaulter street vendors who has failed to pay the renewal fees of vending certificate.
- (3) The renewable fees of the vending certificate shall not be less than Rs.500.

- (4) 1 (One) month's period will be granted for the payment of renewal fees without any penalty.
- (5) In case of loosing Identity Cards or Certificate of vending, TVC can issue the duplicate Identity card or Certificate of vending with the cost of Rs. 50/ to street vendors.

13. The manner in which the certificate of vending may be suspended or cancelled.—
The TVC shall impose fine and a warning on the street vendor found guilty of breach of conditions laid down in the vending certificate. The following will be the breach of conditions:-

- (i) If he/she caring out vending squatting/ hawking in the area/market other than mentioned in the vending license.
- (ii) Misrepresented the age (minimum age is 14 years) for eligibility to get vending certificate;
- (iii) If the area allotted has been increased or unauthorized occupying additional area.
- (iv) If no registration has be done under FSSAI in case of food vendors.
- (v) If any permanent structure has been constructed on the allotted place.
- (vi) If certificate of vending is sold or leased out to any other person.
- (vii) If the vending certificate has not been renewed after the prescribed period is over.
- (viii) Any street vendor who has employed any child below 14 years of age [under Child Labour (Prohibition and Bye-laws [Regulation]) Act, 2005 will be given a warning by the TVC. But failing that their vending certificate will be cancelled.
- (ix) Any street vendor who is guilty of misbehaviour with women vendor will be given a warning based on the written complaint filed by the aggrieved.
- (x) The TVC should make a committee [Headed by a woman official] to take into account the Domestic Violence Act, 2005, Harassment at workplace (Prevention, Prohibition and redressal) Act-2013 and also Indian Penal Code to protect women at work place.

CHAPTER-V

CATEGORIES OF STREET VENDORS AND FEES

14. The categories of street vendors.— The vendors can also be categorized as :-

- (i) Stationary;
- (ii) Mobile;
- (iii) Any other which may the state Govt. provide for.

15. The other categories of persons for preference for issue of Identity card and certificate of vending .— TVC will accord priority for senior citizen, physically challenged, single mothers and widows.

16. The vending fees to be paid on the basis of category of street vending, which may be different for different cities;

The vending fees shall be according to the category of the street vendors and the status of the market.

[Explanation-Income potential differs from area to area. High footfall areas offer high vending opportunity compared to lean footfall areas. Therefore it is only correct to fix

the fees at different rates for different categories of vending zones. Similar will be the arguments for varied rates for cities and towns of different categories.]

TVC shall have to fix fees/levies depending on the footfall of the area but fees shall be minimum Rs.150 and maximum Rs.1500 per month. Every year a minimum 10% increase shall be imposed. Local authority can collect vending fee annually if it deems fit.

17. The manner of collecting, through banks, counters of local authority and counters of Town Vending Committee, vending fees, maintenance charges and penalties for registration, use of parking space for mobile stalls and availing of civic services:-

Every TVC will have a bank account and street vendors will deposit the money per month or year into that account along with the details in the prescribed form. An annual audit of the account will be carried out by the TVC. The local authority concerned is free to make its own any alternative arrangement for collection for TVC.

CHAPTER-VI

RELOCATION AND EVICTION OF STREET VENDORS

18. The public purposes for which a street vendor may be relocated and the manner of relocating street vendor;

- (1) Any project of public purpose, requiring temporary or permanent shifting of the street vendors in the project related area, the concern authorities shall consider following two points for relocation:
 - (i) During the time of construction/development the street vendors may be adjusted in a nearby place temporarily or permanently.
 - (ii) After completion of the project, the street vendors may be adjusted in the same place of public purpose area for vending to the extent possible but it is not compulsory/mandatory.
- (2) Rehabilitation of street vendors under any public purpose would require taking of the following steps:-
 - (a) Give an estimate of footfall status in an area where from the vendors are to be shifted.
 - (b) Total number of vendors to be shifted.
 - (c) Footfall status of the alternative sites.
 - (d) Carrying capacity of the alternative sites.
 - (e) Likely availability of vending space after the project is completed.
 - (f) Temporary allotment of sites for shifting the vendors may be done by lots.
 - (g) In case number of the vendors in the original site is more than the number which could be accommodated after the project is completed, allotment by lot can be adopted.
 - (h) The vendors who were carrying on business from a government land can either be placed in a plot owned by the public authority or can be organized on the road depending on the availability.

19. The manner of evicting a street vendor.-

- (1) TVC should bring in its agenda and discuss the issue of eviction of street vendors 2 months prior to the issuance of 1 month notice of eviction, so that a survey can be conducted to identify an equally vending site for the street vendors
- (2) The 1 month written notice should be served via registered post prior eviction in the name of street vendor. It can be served personally also.

- (3) In case registered post comes back undelivered, the said notice should be posted on the area where from he is carrying on his vending. That should be considered as the service of the notice.
20. *The following shall be the manner of giving notice for eviction of a street vendor.—*
- (1) One month notice prior eviction under Section 18 of the Act.
 - (2) The notice of eviction should be in the name of the street vendor who is getting evicted via registered post or personally.
21. *The manner of evicting a street vendor physically on failure to evict.—*
- (1) Under Section 18 of the Act the street vendor who fails to move out on the expiry of the eviction notice period shall be liable to pay for everyday default.
 - (2) The default amount or the penalty payable by the street vendor may extend up to Rs. 250 only. However, the penalty fees will not exceed the value of the goods seized.

CHAPTER-VII SEIZURE OF GOODS

22. *The manner of seizure of goods by the local authority, including preparation and issue of list of goods seized.—* Under Section-19 of the Act, following steps may be followed with regard to seizure of goods:

- (i) Only the authorized person from the local authority will conduct seizure of goods.
- (ii) The list of goods seized will be made by the concerned authority and the same will be duly signed by the concerned authority.
- (iii) The street vendor, whose goods are seized, will be given proper receipt by the authority.

23. *The manner of reclaiming seized goods by the street vendors and the fees for the same.—*

- (1) Under Section 19(2) the local authority may release the perishable seized goods same day of the such seizure and in case of non-perishable goods within 2 working days.
- (2) The fees to be paid by the street vendor for reclaiming the goods may not exceed the value of the total seized goods of the vendor.
- (3) In case of vending without certificate then the charge should not exceed Rs. 500/- for reclaiming seized goods
- (4) In case of perishable goods, the vendor may be given option to take the goods back immediately by paying necessary penalty or within the working period in the next 24 hours.

CHAPTER-VIII SOCIAL AUDIT

24. *The form and the manner to carry out social audit of the Activities of Town Vending Committee and maintenance of records.—* Every TVC shall constitute a three member unit for the purpose of carrying out social audit under Section 26(3). The social audit unit shall be an independent body.

- (1) The social audit unit shall consist of the following:-
 - (a) An eminent Academician in the field of Sociology
 - (b) An eminent Social Activist
 - (c) A Retired Administrator

Supporting adequate Secretariat Staff with office space and equipment should be provided by the local authority

- (2) The social audit shall be carried out at least once in three years. The schedule for conduct of the social audit shall be determined at an appropriate time
- (3) The TVC shall provide details of all relevant information, at least a fortnight before the social audit process commences. This shall include the following:-
 - (a) Status of implementation of the Act and the Scheme for Street Vendors.
 - (b) A record of the minutes of the meetings of the TVC conducted in those years.
 - (c) Record of all registered street vendors.
 - (d) Records of appeals made before the local authority under Section 11 of the Act.
 - (e) Record of all grievances/disputes brought before the Grievance Redressal Committee under Section 20 of the Act.
 - (f) Record of the total number and details of evictions and confiscation of goods and relocation of street vendors taken place in those years.
 - (g) Records of social audit reports, if any, taken place previously.
- (4) The social audit unit shall conduct meetings and focussed group discussions with street vendors on various aspects of the implementation of the Act and the Scheme.
- (5) The social audit unit shall record in writing grievances of street vendors on any issue faced by them.
- (6) At the culmination of the social audit process, the unit shall record its findings in writing.
- (7) The social audit unit shall hold a social audit public meeting at the TVC office. TVC members and representatives of the local authority shall attend the meeting. Street vendors of the particular area and other persons from the public may participate in the meeting. The social audit unit shall read out its findings at the meeting. Street vendors shall be encouraged to testify and the TVC shall respond to each of the issues identified in the social audit by giving clarification and/or explanation to the affected party and the public as to why a certain action was taken or not taken.
- (8) The social audit unit shall give adequate notice of the social audit public meeting by a public notice.
- (9) The local authority shall on each finding of the social audit in cases of gaps, lapses or deviations fix responsibility and shall take immediate corrective or disciplinary action. In case of a dispute, an administrative enquiry shall be conducted by the local authority and action taken accordingly in the shortest time possible and in any case not later than a month.
- (10) The statutory requirement of conducting social audit shall not preclude any independent initiative to carry out normal audit of accounts.
- (11) Social audit reports submitted in this process shall form part of the record and shall be responded to by the TVC. Where shortcomings are found immediate action shall be taken as per these rules. The social audit report as well as the action taken report shall form part of the record and shall be public information.
- (12) The budget for conducting social audit shall be allocated from amongst the administrative cost allowed for TVC.

CHAPTER-IX
MISCELLANEOUS

25. *The conditions under which private places may be designated as restriction-free-vending zones, restricted - vending zones and no-vending zones.*— Where the local authority decides to declare any private land as the vending zone, it shall take into consideration the possibility of offering compensation in form of additional floor space Index (FSI) or Floor Area Ratio (FAR) than prevailing in that area or Transferrable Development rights (TDR) in case the General Development Control Regulations (DGCR) of the local authority has got the provisions of it. The street vendors are to be accommodated in the ground level only.

26. *The terms and conditions for street vending including norms to be observed for up keeping public health and hygiene.*—

- (1) The Local Authority of the concerned area will provide these vendors a proper place to dispose off their waste materials in order to maintain a hygienic environment.
- (2) The street vendors will use proper covered dustbins to dispose off the waste materials. The used water will also be disposed off in a covered container.
- (3) The Local Authority will ensure and provide the street vendors clean and fresh water along with street light facility wherever it is possible.
- (4) Attempt may be made to provide clean and properly constructed toilets with water and electricity facility in order to maintain public health and hygiene near the street-vending strips.
- (5) Every street vendor will have service record book and TVC only can/ will access that. Based on that TVC can award prize/impose fine upon the vendor.

27. *The designation of State Nodal Officer for co-ordination of all matters relating to street vending at the state level.*—

- (1) The designated Nodal Officer should not be below the Joint Secretary level.
- (2) The nodal officer shall have at least a half yearly meeting with the Local Authorities in order to get himself acquainted with various field level issues.
- (3) The nodal officer may have the feedback forms from the street vendors about the problems faced by them.

28. *The manner of maintenance of proper records and other documents by the Town Vending Committee, Local Authority, planning authority and state nodal officer in respect of street vendors.*

- (1) On -line software will be developed by the state governments for keeping the records of the street vendors.
- (2) The local authority must enter the data of the surveyed street vendors through on-line process.
- (3) The certificate of vending and identity card must be on-line generated.

29. *The manner of carrying out vending Activities on time-sharing basis.*

- (1) The TVC will determine it depending on the market needs.
- (2) Women vendors will not be discriminated while allotting time - sharing vending Activities.

30. *The principles for determining of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no- vending zones:-*

- (1) An intensity of foot fall, Road width and Density of the vehicular and pedestrian movement shall be the cornerstone for deciding vending and no vending zone. There shall be no restricted free vending zones in the city and no vending zone

175
923

should be very minimal. The TVC shall decide the particular street or market as vending zone or no vending zone as specified below and accordingly the space should be allotted.

- (2) There shall not be any totally restriction-free vending zones in the city. Carrying capacity of an area would put up the ultimate limit on the number of street vendors which can be positioned in any area. However, there shall not be any restriction on mobile vending in this area if vendors continuously move without affecting traffic and commuter movements. In such cases the TVC has to decide the total number of such mobile vendors can be accommodate after taking into account the area of significant footfall and 1/3rd of the holding capacity of the area. Otherwise there is every chance of mobile vending itself creating problem for the traffic movement, as the mobile vending invariably takes place from the carriage way.
- (3) *Restricted vending zones will be linked with the road width in the following manner:-*
- (a) There shall not be any stationary street vending on a road having width less than 3.5 meters.
- (b) There shall not be any stationary street vending on a road having width between 3.5 meters to 6 meters. However, street vending shall be allowed if such road is declared as no vehicular road. In such cases, the street vending shall be restricted to 2.0 metre.
- (c) There shall not be any stationary street vending on a road having width between 6 meters to 9 meters. However, street vending shall be allowed if such road is declared one way vehicular road.
- (d) There shall be only one side stationary street vending on a road having width between 12 meters to 24 meters while both side stationary vending shall be allowed on a road having road width of 30 meters and above.
- (e) Number of street vendors shall be decided by considering holding capacity of each designated vending area on such a road.
- (f) Such stationary vending shall be allowed after taking the clearance from traffic police regarding the smooth vehicular and pedestrian movement. If required, road side parking shall be banned in such area where street vending is allowed.
- (g) Mobile vending shall be allowed on such road looking to the traffic and pedestrian movement.
- (h) A suggestive road design is provided in the annexure appended to the scheme
- (4) *The following shall be no vending zone.*—The Town Vending Committee may decide the distance to be kept free from Street Vending near the important institutions like Secretariat and District Collectorate, Offices of the District Panchayat, Municipal Corporation, Municipality, Nagar Panchayat, Court, Cantonment Board and State Archaeological Monuments attracting a high footfall, any crossing of two or more roads on all sides or both sides of the railway crossing and any declared heritage structure by the local authority at its discretion taking into account the specifics of the area of concerned.

31. *The principles for determining holding capacity of vending zones and the manner of undertaking comprehensive census and survey.-*

- (1) Under section 3 of the Act 2.5% of the population of street vendors of a ward/ zone will be accommodated as per the holding capacity.
- (2) The holding capacity of a vending zone will be according to the vending site divided by the total area of the vending area.
- (3) **For Areas to be allotted to individual vendors Criterion may be kept by the TVC as follows:-**
 - (i) A maximum of 2 sq. mts area as 'vending area' shall be provided to each vendor/hawker with dimension of 1.6 meter x 1.2 meter.
 - (ii) Passage of 1.0 meter width in front of stalls/ push carts shall be reserved as 'extension' for consumers/ users to stand or buy goods.
 - (iii) A walkway/footpath of 1.0/2.0 meters width shall be provided for pedestrians, in front of extension space depending on the road width.
 - (iv) In no case, the carriageway shall be allowed to be used for street vending.
 - (v) If the width of road permits, street vending may be allowed on both sides of the road.
 - (vi) No vending Activity shall be allowed at a distance of 50 meters from any junction/exit/entry of road or the railway crossing.

32. *Criteria of relocation.-*

- (1) Relocation will be avoided as far as possible, unless there is clear and urgent need for the land in question;
- (2) Affected vendors or their representatives shall be involved in planning and implementation of the rehabilitation project;
- (3) The TVC shall engage in the dialogues with the representatives of the markets.
- (4) Mutually agreed place for relocation should be considered under the implementation of the rehabilitation project.
- (5) Affected vendors shall be relocated so as to improve their livelihoods and standards of living or at least to restore them, in real terms to pre-evicted levels;
- (6) Livelihood opportunities created by new infrastructure development projects may try to accommodate the displaced vendors so that they can make use of the livelihood opportunities created by the new infrastructure;
- (7) Loss of assets shall be avoided;
- (8) Any transfer of title or other interest in land shall not affect the rights of street vendors on such land, and any relocation consequent upon such a transfer shall be done in accordance with the provisions of this Act;
- (9) Any Natural markets where street vendors have conducted business for over fifty years shall be declared as heritage markets, and the street vendors in such markets shall not be relocated;
- (10) The Municipal body shall prepare a list of such markets and declare them as "Heritage Markets". The Municipal bodies in collaboration with the tourism department shall promote such markets as tourist markets by incorporating such elements as may bring in local flavour in that market.

By the order of the Governor of Bihar,
 CHAITANYA PRASAD,
 Principal Secretary.

ANNEXURE
ROAD DESIGNING WITH STREET VENDING SPACE

(in meters)

S. No.	Width of Road (in meters)	Footpath	Street Vending Space	Service Road	Cycle Track	Carriageway	Central verge	Carriageway	Cycle Track	Service Road	Street vending space	Footpath	Vending status	Conditionally allowed
1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Not allowed	
		0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Allowed	No vehicular area
2	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Not allowed	
		0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Allowed	No vehicular area
3	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	1.0	Not allowed	
		1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	1.0	Allowed	One way road
4	12.0	1.0	3.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	1.0	Allowed	One side
5	15.0	1.0	3.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	Allowed	One side
6	18.0	1.0	3.0	0.0	0.0	6.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.0	Allowed	One side
7	24.0	1.5	3.0	0.0	0.0	8.5	1.0	8.5	0.0	0.0	0.0	1.5	Allowed	One side
8	30.0	1.5	3.0	0.0	1.0	9.0	1.0	9.0	1.0	0.0	3.0	1.5	Allowed	Both sides
9	36.0	2.0	3.0	0.0	1.5	11.0	1.0	11.0	1.5	0.0	3.0	2.0	Allowed	Both sides
10	40.0	2.0	3.0	0.0	1.5	13.0	1.0	13.0	1.5	0.0	3.0	2.0	Allowed	Both sides
11	60.0	3.0	4.0	5.0	2.0	15.0	2.0	15.0	2.0	5.0	4.0	3.0	Allowed	Both sides

Note: These calculations are subject to approval of traffic division for carrying capacity of vehicular traffic.

For two lane traffic minimum 7 meters is required for carrying traffic.

Minimum area available for street vending – 3 meters.

Minimum space requirement for pedestrian movements – 1.0 meters.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 119-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>